रजि॰सं॰ 40 RP/12/NML-2006.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

खण्ड: 54 | शिमला, शनिवार, 8 जुलाई, 2006/17 आषाढ़, 1928 | संख्या : 15

विषय सूची

भाग-1	वैधानिक नियमों को छोड़कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि	566—581
भाग-2	वैधानिक नियमों को छोड़कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि	581—583
भाग-3	अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाईनैन्शियल कमिश्नर तथा कमिश्नर-आफ-इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि	583—590
भाग-4	स्थानीय स्वायत शासन, म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाऊन एरिया तथा पंचायती राज विभाग	—
भाग-5	वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन	591—614
भाग-6	भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन	—
भाग-7	भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं	—
—	अनुपूरक	—

8 जुलाई, 2006/17 आषाढ़, 1928 को समाप्त होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित विज्ञप्तियां 'असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश' में प्रकाशित हुई:—

विज्ञप्ति की संख्या	विभाग का नाम	विषय
No. Rev. (PD)F(5)-4/99, dated 31st May, 2006.	Revenue (Project Cell) Department	Resettlement and rehabilitation Scheme for Project affected families of Karcham Wangtoo Hydro Electric Project.
संख्या एल० एल० आर०-डी० (6) 17/2006-लेज, दिनांक 4 जुलाई, 2006.	विधि विभाग	दिनांक 1-7-2006 को प्रख्यापित हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (2006 का अध्यादेश संख्यांक 3) इसके प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ सहित।

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट

NOTIFICATION

Shimla, the 7th June, 2006

No. HHC/GAZ/14-280/2005-12531. It is hereby notified for information of District and Sessions Judge concerned that the third Departmental Examination under Rule 18 of the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004 will be held in the premises of the High Court, Shimla-171001 on the following date:—

Date	Paper, subject	Time
Saturday July 22, 2006	Revenue Law	10.00 A. M. to 1.00 P. M.

By order,

ARUNA KAPOOR,
Registrar General
Secretary, Departmental Examination Committee.

हिमाचल प्रदेश सरकार

BOARD OF DEPARTMENTAL EXAMINATION, FAIRLAWN, SHIMLA-171 012

NOTIFICATIONS

Fairlawn, Shimla-171 012, the 11th May, 2006

No. HPPA (Exam) 5-74-XXV.—The result of the Departmental Examination of the Officers belonging to Indian Administrative Service H. P. held in February 2006 after re-evaluation is hereby notified as follows:—

NOMENCLATURE OF PAPERS

Paper-1—Criminal Law & Procedure
Paper-2—Criminal Case
Paper-3—Revenue Law & Procedure
Paper-4—Hindi
Paper-5—Revenue Case
Paper-6—General Administration
Paper-7—Planning & Development
Paper-8—Constitution & Civil Law
Paper-9—Civil Service Treasury & Financial Rules
Paper-10—Special Acts (Criminal) Manuals & Rules
Paper-11—Minor (Revenue) Acts and Manuals
Paper-12—Motor Mechanism & Driving
Paper-13—Target Shooting (Rifle-Revolver)
Paper-14—Computer

Abbreviations used:—ABS—Absent, EXM—Exempted, DEB—Debarred from Departmental Exam.

Name	Roll No.	Paper-1	Paper-2	Paper-3	Paper-4	Paper-5	Paper-6	Paper-7	Paper-8	Paper-9	Paper-10	Paper-11	Paper-12 (W)(P)	Paper-13	Paper-14
DEPARTMENT : I. A. S.															
Sh. C. Palrasu, IAS (P)	5601	—	—	—	51 Pass	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Fairlawn, Shimla-171 012, the 11th May, 2006

No. HIPA (Exam.) 5/74-XXV.—The result of the Departmental Examination of the Officers belonging to Tehsildars/Naib-Tehsildars, H. P. held in February 2006 after re-evaluation is hereby notified as follows:—

NOMENCLATURE OF PAPERS

Paper-1—Land Revenue Acts & Rules
Paper-2 -Arithmetic & Patwaris Mensuration
Paper-3—Minor Revenue Acts & Rules
Paper-4 Hindi
Paper-5—Criminal Law & Procedure
Paper-6— Revenue Case
Paper-7—Local & Special Laws
Paper-8 -Local Fund Try. & Financial Rules

Abbreviations used:— ABS—Absent, EXM—Exempted, DEB—Debarred from Departmental Exam.

Name	Roll No.	Paper 1	Paper 2	Paper 3	Paper 4	Paper 5	Paper 6	Paper 7	Paper 8
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8
DEPARTMENT : REVENUE									
S/Shri/Smt. :									
Hari Singh Thakur	6002	—	—	—	—	—	44 Fail	—	—
Rajeev Kumar	6006	—	—	—	—	—	46 Fail	—	—
Ram Singh Chaudhary	6011	—	—	44 Fail	—	—	—	—	—
Brinder Kumar	6028	—	—	—	—	—	—	—	43 Fail
Ramesh Chand	6036	41 Fail	—	—	—	—	—	—	—
Suresh Kumar	6056	—	—	—	—	—	—	44 Fail	—
Satish Kumar Suman	6083	—	—	—	—	48 Fail	—	—	—
Omkar Chand	6086	—	45 Fail	—	—	—	—	—	—
Parkash Chand	6094	48 Fail	—	—	—	—	—	—	—
Gurdial Singh	6104	—	—	45 Fail	—	—	—	—	—
Krishan Lal	6117	48 Fail	—	—	—	—	—	—	—
Joginder Singh	6118	—	—	45 Fail	—	—	—	—	—
Mehar Singh	6141	—	55 Pass	—	—	—	—	—	—
Parma Nand	6145	44 Fail	—	—	—	41 Fail	—	—	—

Fairlawn, Shimla-171 012, the 11th May, 2006

No. HIPA (Exam.) 5/74-XXV.—The result of the Departmental Examination of the Officers belonging to other Gazetted Officers (Tech.), H. P. held in February 2006 after re-evaluation is hereby notified as follows:—

NOMENCLATURE OF PAPERS

Paper-1—Financial Administration
Paper-2—Hindi
Paper-3—Rules & Acts for Tech /Non-Tech. Deptt.

Abbreviations used :—ABS—Absent, EXM—Exempted, DEB—Debarred from Departmental Exam.

Name	Roll No.	Paper 1	Paper 2	Paper 3
1	2	1	2	3
DEPARTMENT : AGRICULTURE				
S/Shri/Smt. :				
Ram Krishan Raju	9128	44 Fail	—	—
Dharam Pal	9129	41 Fail	—	—
Ravi Kumar Sharma	9251	40 Fail	—	—

1	2	1	2	3
DEPARTMENT : ANIMAL HUS				
S/Shri/Smt. :				
Rajiv Kumar	9155	41 Fail	—	—
DEPARTMENT : EDUCATION				
Rajesh Kumar	8127	42 Fail	—	—
Anil Kumar	8511	41 Fail	—	—
Bhim Raj Sharma	8560	39 Fail	—	—
Dhaneswari Sharma	8581	41 Fail		—
Parveen Kumar	8602	40 Fail	—	—
Hem Raj	8606	42 Fail	—	—
Sukh Lal	8607	47 Fail	—	—
Krishan Paul	8609	44 Fail	—	—
Prabhu Dayal	8635	44 Fail	—	—
Mehar Chand Thakur	9006	45 Fail	—	—
Ramesh Mohan Joshi	9258	42 Fail	—	—
DEPARTMENT : FOREST				
Inder Kumar	9095	—	—	41 Fail
DEPARTMENT : IPH				
Narender Pal Parmar	9239	47 Fail	—	—

Fairlawn, Shimla-171 012, *the 11th May*, 2006

No. HIPA (Exam.) 5/74-XXV.—The result of the Departmental Examination of the Officers belonging to other Gazetted Officers (Non-Tech.), H P held in February 2006 after re-evaluation is hereby notified as follows:—

NOMENCLATURE OF PAPERS

Paper-1—Financial Administration
Paper-2—Hindi
Paper-3—Rules & Acts for Tech./Non-Tech. Deptt.
Paper-4—Non-Tech. Deptt.
Paper-5—Non-Tech. Deptt.

Abbreviations used : ABS—Absent, EXM—Exempted, DEB—Debarred from Departmental Exam.

Name 1	Roll No 2	Paper 1 1	Paper 2 2	Paper 3 3	Paper 4 4	Paper 5 5
S/Shri/Smt. :						
DEPARTMENT : LAB & EMP						
Rajender Paul Rana	7009	43 Fail	—	—	—	—
Surinder K. Kaushal	7010	46 Fail	—	—	—	—
DEPARTMENT : POLICE						
Roshan Lal	7032	—	—	48 Fail	—	—
DEPARTMENT : PRISON						
Prem Singh Verma	7012	—	—	—	46 Fail	46 Fail
DEPARTMENT : SAD						
Ramesh Chand Jaasal	7046	—	—	—	—	43 Fail
Durgesh Nandini	7051	45 Fail	—	—	—	—
DEPARTMENT : WELFARE						
Kali Dass Thakur	7001	—	—	—	44 Fail	—

Sd/
Secretary,

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 जनवरी, 2006

संख्या गृह (ए) बी (1)-2/2004 हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश में तथा सायु पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 1.10 के साथ पठित, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (य) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्तम्भ संख्या (3) में वर्णित ग्रामों को स्तम्भ संख्या (4) में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र से स्तम्भ संख्या (5) में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र में इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से, अन्तरित करने के आदेश देते हैं ।

अनुसूची

क्रम संख्या	जैल का नाम	स्तम्भ संख्या 2 में विनिर्दिष्ट जैल में अन्तर्विष्ट ग्रामों के नाम	पुलिस थाना जिससे, इस अधिसूचना द्वारा वह अन्तरित किए गए	पुलिस थाना जिसमें इसके पश्चात् वह सम्मिलित होंगे
1	2	3	4	5
1.	ग्राम पंचायत गवास	1. गवास 2. मिर्णा 3. शैलापानी 4. बार्गी 5. मस्तोट 6. लकाधार 7. क्याणी	पुलिस थाना राहड़ के अन्तर्गत पुलिस चौकी चिड़गांव	पुलिस थाना चिड़गांव
2.	ग्राम पंचायत कलोटी	1. भटवाड़ी 2. झटवाड़ी 3. धुमाधार 4. कलोटी 5. बटूवा 6. लगोटी	यथोपरि	यथोपरि
3.	ग्राम पंचायत डिस्वानी ।	1. डिस्वानी 2. कमरोण 3. टिक्कर 4. खिलोचा 5. जगोटी	यथोपरि	यथोपरि
4.	ग्राम पंचायत मसली ।	1. मसली 2. जिताटा 3. इमरोल	यथोपरि	यथोपरि
5	ग्राम पंचायत ढाक-गांव ।	1. ढाक-गांव 2. नाबी 3. खरोट 4. डली 5 शलोट	यथोपरि	यथोपरि
6	ग्राम पंचायत खजधार ।	1. खजधार 2. जाम्बी 3. खेड़ा 4. तेलगा 5 मन्दासू 6 जिस्कून 7. पंजा	यथोपरि	यथोपरि
7.	ग्राम पंचायत खरशाली ।	1 खरशाली 2. खापटवाड़ी 3. किन्ठारी 4. दिउची 5. जडकोट 6. गहमारी	यथोपरि	यथोपरि

1	2	3	4	5
8	ग्राम पंचायत शिलादेश ।	1. लडोट 2. शिलादेश 3. धलाधर 4 धमवाडी 5. गजगाणी	पुलिस थाना रोहडू के अन्तर्गत पुलिस चौकी चिड़गांव	पुलिस थाना चिड़गांव
9	ग्राम पंचायत रनोल ।	1. रनोल 2. कोयला 3 बनाडी 4. ठकराला	यथोपरि	यथोपरि
10.	ग्राम पंचायत मारीवासा ।	1. देवीधार 2. मधारा 3. मारीवासा 4. बनोटी 5. दमरेडा 6. माथला 7. चिबाड़ी	यथोपरि	यथोपरि
11.	ग्राम पंचायत टोडसा ।	1. टोडसा 2. गुमडा 3. लिम्भडा 4 टिपरोली 5. कुलडा 6. बगटोट	यथोपरि	यथोपरि
12	ग्राम पंचायत थाना ।	1 थाना 2 खयालट 3 जयलोट 4. तलवाडी 5. जाडसा 6 मरीवासा 7. धम्बोई	यथोपरि	यथोपरि
13.	ग्राम पंचायत जांगला ।	1. जांगला 2. धनो 3. बहियारा 4. कुलगांव 5. शिरोली 6. मगवाणी 7. बखोली 8. नडला 9. थमेल 10. छछेड़ा	यथोपरि	यथोपरि
14.	ग्राम पंचायत रोहल ।	1. चिचवाडी 2. मलवाणी 3 जनवाणी 4 हिगौरी 5 थाना	यथोपरि	यथोपरि
15	ग्राम पंचायत गावमारी ।	1. गावमारी 2. गाउमी 3. गास्कवाडी 4 गुशानी 5. घटगाव 6. मकटोट 7. हाउचली 8. हडवाणी	यथोपरि	यथोपरि
16.	ग्राम पंचायत घनोली ।	1 घनोली 2 कुमरांडा 3. जाबल 4 बकोला 5 पंचायत घर 6. पथाना 7. चिडोटी 8. कुजवाणी 9 बजवाणी 10 कुराडीधार 11. मान्धा 12 कायली	यथोपरि	यथोपरि

2	3	4	5
17. ग्राम पंचायत मुण्डा-भौंडा ।	1. मुण्डा 2. भौंडा 3. लखनोटी 4. बाड़ली धार	पुलिस थाना रोहड़ू के अन्तर्गत पुलिस चौकी चिड़गांव	पुलिस थाना चिड़गांव
18. ग्राम पंचायत तांगण्-जांगलिक ।	1. तांगण् 2. जांगलिक 3. माईला 4. फिंगटवाड़ी 5. बौनवाड़ी	यथोपरि	यथोपरि
19. ग्राम पंचायत पेखा ।	1. दिउदी 2. जटवाणी 3. शरटवाड़ी 4. अम्बोट 5. रमई 6. गिरवाणी 7. धरटून	यथोपरि	यथोपरि
20. ग्राम पंचायत सन्दासली ।	1. गोक्सवाड़ी 2. शिमला 3 सन्दासली 4. बुसारी 5. जमरोड़ा 6. पटारली 7. हरवाणी 8. जकटवाणी	यथोपरि	यथोपरि
21. ग्राम पंचायत खावल ।	1. खावल 2. सोदाड़ी 3. देनवाड़ी 4 जलटवाड़ी 5. गाढ 6. बागी 7. डमडारी	यथोपरि	यथोपरि
22. ग्राम पंचायत टिक्करी ।	1. टिक्करी 2. गुम्मा	यथोपरि	यथोपरि
23. ग्राम पंचायत चिड़गांव ।	1. चिड़गांव 2. चिलाला 3. पुजारली 4. विशाली 5. दुदना 6. डुगयानी 7. थेवटी 8. भेतीयानी	यथोपरि	यथोपरि

आदेश द्वारा,

एस0 विजय कुमार,
प्रधान सचिव ।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. Home (A)B(1)-2/2004. dated* 23-1-2006 *as required under clause* 3 *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, *the* 23*rd January*, 2006

No. Home (A) B (1)-2/2004.—In exercise of the powers conferred by clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 and read with Rule 1.10 of Punjab Police Rules, 1934 as applicable in the State of Himachal Pradesh, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to transfer the Villages as enumerated in Column

No. (3) from the local area of the Police Station mentioned in column (4) to the local areas of the Police Station mentioned in column (5) thereof, with effect from the date of the issue of this Notification :

SCHEDULE

Sl. No.	Name of Zail	Nome of Village contained in Zail specified in Column No. 2	Police Station from which transferred by this notification	Police Station in which hereinafter included
1	2	3	4	5
1.	Gram Panchayat Gawas.	1. Gawas 2. Mini 3. Shailapani 4. Baghi 5. Mastot 6. Lukadhar 7. Kayanni	Police Post Chirgaon under Police Station Rohru.	Police Station Chirgaon
2.	Gram Panchayat Kuloti.	1. Bhatwari 2. Jhatwari 3. Dhumadhar 4. Kuloti 5. Bathuwa 6. Dagoti	-do-	-do-
3.	Gram Panchayat Diswani.	1. Diswani 2. Kamroon 3. Tikkar 4. Khilocha 5. Jagoti	-do-	-do-
4.	Gram Panchayat Masli.	1. Masli 2. Jitata 3. Emrol	-do-	-do-
5.	Gram Panchayat Dhakgaon.	1. Dhakgaon 2. Navi 3. Kharot 4. Dali 5. Shalot	-do-	-do-
6.	Gram Panchayat Khash Dhar.	1. Khashdhar 2. Jhakhi 3. Khora 4. Telga 5. Sandasu 6. Jiskun 7. Poja	-do-	-do-
7.	Gram Panchayat Kharshali.	1. Karshali 2. Khopatwari 3. Kindari 4. Diuchi 5. Jarkot 6. Garhwari	-do-	-do-
8.	Gram Panchayat Shiladesh.	1. Larot 2. Shiladesh 3. Thalathar 4. Dhamwari 5. Gujyani	-do-	-do-
9.	Gram Panchayat Ranol.	1. Ranol 2. Koyoli 3. Bachari 4. Thakrala	do	-do-
10.	Gram Panchayat Sariwasu.	1. Dividhar 2. Magitara 3. Sariwasa 4. Banoti 5. Damrara 6. Mathla 7. Chiwari	-do-	-do-
11.	Gram Panchayat Todsa.	1. Todsa 2. Gumna 3. Limbhra 4. Tipreli 5. Kuira 6. Baglot	-do-	-do-

2	3	4	5
12. Gram Panchayat Thana.	1. Thana 2. Khavalto 3. Jallot 4. Talwari 5. Jarsa 6. Seriwasa 7. Ambot	Police Station Chirgaon under Police Station Rohru.	Polic Station Chirgaon.
13. Gram Panchayat Jangla.	1. Jangla 2. Thali 3. Badiyara 4. Kulgaon 5. Shiroli 6. Magwani 7. Bakholi 8. Nandla 9. Thamel 10. Chhachhera	-do-	-do-
14. Gram Panchayat Rohal.	1. Chinchwari 2. Majhwani 3. Jatwani 4. Hingori 5. Thana	do-	-do
15. Gram Panchayat Gaonsari.	1. Gaonsari 2. Rausi 3. Goskawari 4. Gushali 5. Atgaon 6. Maklot 7. Hauchali 8. Hadwani	-do-	-do-
16. Gram Panchayat Dhagoli.	1. Dhagoli 2. Kumrara 3. Jabal 4. Bakora 5. Panchayatghar 6. Payana 7. Chiroti 8. Kujyani 9. Janjwani 10. Kurarigar 11. Andhara 12. Kanthali	-do-	-do-
17. Gram Panchyat Sunda-Bhonda.	1. Sunda 2. Bhonda 3. Jakhnoti 4. Bahalidhar	-do-	-do-
18. Gram Panchayat Tangnu-Janglik.	1. Tangnu 2. Janglik 3. Maicla 4. Fishatwari 5. Bonwari	-do-	-do-
19. Gram Panchayat Pekha.	1. Deudi 2. Jatwani 3. Shashtwari 4. Ambota 5. Ramai 6. Shirwani 7. Dhartun	-do-	-do-
20. Gram Panchayat Sandasli.	1. Gokaswari 2. Shimla 3. Sandasli 4 Busari 5. Chamrara 6. Patarli 7. Harwani 8. Jakatwani	-do-	-do-
21. Gram Panchayat Khabbal.	1. Khabbal 2. Sondari 3. Donwari 4. Jelatwari 5. Gar 6. Baghi 7. Damdari	-do-	-do-

1	2	3	4	5
22.	Gram Panchayat Tikkri.	1. Tikkri 2. Gumma	Police Post Chirgaon under Police Station Rohru.	Police Station Chirgaon.
23.	Gram Panchayat Chirgaon.	1. Chirgaon 2. Chilala 3. Pujarli 4. Vishali 5. Dudna 6. Dugyani 7. Thevti 8. Bhetiyani	-do-	-do-

By order,

S. VIJAY RUMAR,
Principal Secretary.

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 15 जून, 2006

संख्या सिंचाई 11-54/2005-कांगड़ा यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव रियाली, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना डी-1 के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता भू-अर्जन, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक, भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला : कांगड़ा तहसील : फतेहपुर

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र (हैक्टेयरों में)		
1	2	3		
रियाली	2458/1	0	00	41
	2460	0	05	81
	2461	0	03	14
	2517/2	0	00	24
	2706	0	00	99
	2707/1	0	06	91
	2708	0	03	27
	2709/1	0	00	32
	2711/1	0	00	26
	2716/1	0	00	21
	2717	0	00	19
	2718	0	00	93
	2720/1	0	02	10
	2721	0	00	35
	2722	0	03	88
	2723	0	04	00
	2724	0	02	69
	2725	0	00	74
	2726	0	02	05
	2727/1	0	00	64
	2727/2	0	03	42
	2728/1	0	00	40
	2730/1	0	00	22
	2730/2	0	00	76
	2731/1	0	04	56
	2732/1	0	03	92
	2748/1	0	00	38
	2768/1	0	03	81
	2769/1	0	00	16
	2770/1	0	03	00
	2771/1	0	00	36
	2772	0	01	02
	2773	0	02	55
	2774/1	0	01	06
	2774/2	0	00	46
	2775/1	0	01	56
	2776/1	0	00	44
	2777/1	0	01	68
	2784/1	0	02	58
	2785/1	0	00	45
	2796/1	0	00	24
	2797/1	0	05	76
	2799/1	0	07	50
	2804/1	0	01	39
	2804/3	0	00	25
	2804/4	0	01	46
	2805/2	0	13	86
	2813/1	0	01	00
	2814/1	0	02	64
	2831/2	0	05	00
	2834/2	0	07	93
	3107/1	0	00	42
	3111/2	0	06	38
	3111/4	0	00	62
	3112/1	0	00	54
	3113/1	0	01	00
	3124/1	0	01	76
	3127/2	0	08	15
	कित्ता .. 58	1	38	15

शिमला-2, 15 जून, 2006

संख्या सिंचाई 11-57/2006 कांगड़ा. यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव सनौर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3 पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सशर्त प्राधिकार देते हैं।

4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (4) के अधीन यह भी निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5-ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

विस्तृत विवरणी

जिला कांगड़ा तहसील इन्दौरा

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र (हैक्टेयरों में)		
सनौर	2033/1	0	11	25
	2035/1	0	09	12
	2044/1	0	06	21
	2048/1	0	04	61
	कित्ता .. 4	0	31	19

यत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन तामत: हेतु *भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त* प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है।

4. भूमि का रेखांक, भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

*गांव जैसर, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा में सिद्धाथा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु।

संख्या सिंचाई 11-9/2006-कांगड़ा

शिमला-2, 15 जून, 2006

विस्तृत विवरणी

जिला : कांगड़ा तहसील : ज्वाली

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र (हैक्टेयरों में)		
1	2	3		
जैसर	117/1	0	16	85
	181/1	0	18	02
	208/1	0	05	77
	209	0	03	27
	216/1	0	02	57
	235/1	0	07	48
	257/1	0	24	95
	264/1	0	05	36
	266/1	0	04	51
	269/1	0	04	20
	271/1	0	05	67
	272/1	0	03	01
	293/1	0	07	60
	316/1	0	08	59
	326/1	0	13	90
	331/1	0	02	93
	354/1	0	04	08
	355	0	00	62
	357/1	0	03	33
	762/338	0	02	83
	185/2	0	00	90
	598/1	0	00	98
	722/599/1	0	00	44
	601/1	0	01	77
	720/603/1	0	02	26
	610/1	0	04	73
	639/1	0	02	70
	642/1	0	01	98
	643/1	0	02	10
	646/3	0	02	25
	646/4	0	02	43
	649/1	0	10	00
	653/1	0	05	41
	656/1	0	08	80
	657/1	0	02	52
	कित्ता .. 35	1	94	66

*गांव मतलाहड़, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा में सिद्धाथा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु।

संख्या सिंचाई 11-10/2006-कांगड़ा

शिमला-2, 15 जून, 2006

मतलाहड	140/3	0	03	29
	146/1	0	04	60
	157	0	02	45
	923/158	0	06	93
	161	0	01	78
	162	0	00	47
	163	0	01	12
	873/172	0	06	93
	193/1	0	00	38
	194/1	0	05	45
	351/1	0	10	27
	352/1	0	04	22
	878/381/1	0	08	44
	879/381/1	0	01	92
	880/381/1	0	05	78
	781/381/1	0	00	40
	930/881/381/2/1	0	02	25
	931/881/381/1/1	0	02	24
	308/1	0	01	97
	308/2/1	0	06	55
	786/403/1	0	09	17
	420	0	02	31
	425/1	0	04	76
	426/1	0	01	87
	427/1	0	02	36
	428/1	0	07	11
	432/1/1	0	03	12
	432/2/1	0	06	38
	432/3/1	0	04	31
	432/4/1	0	06	09

1	2	3		
	433/2/1	0	11	55
	937/452	0	05	81
	938/452/1	0	13	68
	487/1	0	02	47
	789/489/1	0	02	21
	943/802/500/1	0	05	12
	505/1	0	01	89
	506/1	0	03	20
	513/1	0	13	88
	516/1	0	06	55
	531/2	0	10	14
	856/651/1	0	03	22
	661/1	0	11	30
	662/4	0	04	13
	710	0	03	80
	728/1	0	02	74
	730/1	0	03	54
	731/1	0	01	50
किस्सा	48	2	32	08

*गांव भलू, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा में सिंचाई मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु।

संख्या सिंचाई 11-8/2006-कांगड़ा

शिमला-2, 17 जून, 2006

भलू	185/1	0	03	05
	195/1	0	02	84
	226/1	0	06	90
	227/1	0	02	38
	228/1	0	00	12
	229/1	0	04	10
	233/1	0	04	93
	234/1	0	04	67
	235/1	0	09	87
	355/1	0	07	00
	356/1	0	01	80
	358/1	0	05	04
	503/1	0	03	14
	504/1	0	04	21
	512/1	0	04	69
	513/1	0	13	59
	514/1	0	03	03
	519/1	0	02	97
	523/1	0	02	77
	527/1	0	04	80
	592/1	0	01	70
	593/1	0	01	60
	594/1	0	03	50
	606/1	0	10	71
	612/1	0	03	40
	672/613/1	0	04	05
	699/613/1	0	02	70
	614/1	0	03	59
	615/1	0	13	48
	618/1	0	05	31
	632/1	0	05	94
	63 /639/1	0	02	53
	733/639/1	0	07	29
	642/1	0	06	57
	648/2/1	0	23	99
	647/1	0	09	18
	650/1	0	04	64
	652/1	0	07	48
	680/658/1	0	20	52
	687/670/1	0	14	77
किस्सा ..	40	2	45	34

*गांव बटट, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा में सिंचाई मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु।

संख्या सिंचाई 11-12/2006-कांगड़ा

शिमला-2, 17 जून, 2006

1	2	3		
बटट	208/1/1	0	06	08
	208/2/1	0	04	95
	220/1	0	03	96
	221/1	0	05	00
	227/1	0	03	50
	228/1	0	04	50
	241/1	0	04	68
	244/1	0	07	42
	248/1	0	07	58
	249/1/1	0	00	60
	249/2/1	0	08	75
	252/1	0	10	05
	256/1	0	18	04
	260/1	0	01	19
	262/1	0	05	36
	267/1	0	03	75
	727/268/1	0	01	35
	734/284/1	0	04	95
	776/314/1	0	16	91
	385	0	01	30
	388/1	0	04	63
	744/389/1	0	02	54
	745/389/1	0	03	60
	746/392	0	04	73
	747/392/1	0	07	08
	398/1	0	18	97
	399/1	0	10	88
	680/419/1	0	03	00
	681/419/1	0	06	95
	420/1	0	14	36
	715/654/1/1	0	14	99
	715/654/2/1	0	13	88
	657/1	0	09	66
	730/669/1	0	08	62
	773/729/1	0	24	07
किस्सा ..	35	2	67	88

*गांव मतलाहड़, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा में सिंचाई मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु।

संख्या सिंचाई 11-124/2005-कांगड़ा

शिमला-2, 17 जून, 2006

मतलाहड़	104/1	0	03	80
	105/1	0	11	71
	133/1	0	01	80
	134/1	0	02	57
	135/1	0	10	85
	139	0	08	40
	140/1	0	06	29
	141/2/1	0	04	47
	517/1	0	08	49
	531/1	0	06	00
	532/1	0	03	10
	533	0	01	53
	534/1	0	00	85
	545/1	0	03	30
	546	0	02	00
	612/1	0	01	75
	613/1	0	11	33

1	2	3		
	662/1	0	04	83
	663/1	0	05	96
	704/1	0	10	11
	816/542/2/1	0	03	15
	820/547/1/1	0	05	88
	822/548/2/1	0	05	60
	किला .. 23	1	23	77

*गांव हन, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा में सिंचाई मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु ।

संख्या सिंचाई 11-130/2005-कांगड़ा

शिमला-2, 17 जून, 2006

1	2	3		
हन	176/1	0	03	73
	171	0	01	44
	174/1	0	05	10
	176/1	0	02	25
	177/1	0	03	52
	181/1	0	01	89
	182	0	00	44
	183/1	0	00	67
	184/1	0	02	46
	185	0	01	23
	190/1	0	02	03
	193/1	0	01	42
	198/1	0	00	70
	199/1	0	01	56
	299	0	01	44
	314	0	02	24
	315	0	01	95
	316/1	0	01	38
	317/1	0	02	38
	322/1/1	0	00	20
	322/2/1	0	00	36
	322/3/1	0	00	96
	323	0	00	48
	324	0	01	43
	326	0	01	72
	349	0	02	97
	350/1	0	01	60
	362/1	0	01	71
	363/1	0	01	12
	365/1	0	03	00
	441/1	0	01	28
	442/1	0	01	14
	443/1	0	06	73
	445	0	02	74
	503/1	0	02	60
	504/1	0	02	16
	505/1	0	01	64
	516/1	0	00	88
	518/1	0	08	28
	547/1	0	04	37
	593/2	0	01	10
	594/1	0	00	74
	595/1	0	01	32
	601/1	0	02	88
	613/1	0	03	70
	614/1	0	02	76
	619/1	0	02	60
	628/1	0	07	29
	629/1	0	02	79
	632/1	0	01	45
	633/1	0	01	61
	658/1	0	01	69
	659/1	0	03	13
	707/1	0	01	62
	708/1	0	01	76
	719/1	0	01	38
	720/1	0	02	13
	721/1	0	02	22
	1676/1	0	01	38
	731/1	0	03	89
	किला 60	1	32	64

शिमला-2, 15 जून, 2006

संख्या सिंचाई 11-58/2006-मण्डी. यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव दोयण, तहसील सदर, जिला मण्डी में उठाऊ पेयजल योजना जल भण्डारण टैंक ढावण के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2 यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इसमें सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत सभी अन्य कार्यों को करने के लिए महर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, मण्डी, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला : मण्डी तहसील : सदर

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र (बीघों में)		
ढावण	582/1	0	01	15

शिमला-2, 16 जून, 2006

संख्या सिंचाई 11-56/2006-शिमला यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव बैरटी, तहसील मुन्नो, जिला शिमला में पेयजल योजना शिमला शहर के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इसमें सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3 पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत सभी अन्य कार्यों को करने के लिए महर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (4) के अधीन यह भी निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5-ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

विस्तृत विवरणी

जिला : शिमला तहसील : सुन्नी

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र (हैक्टेयरों में)
बैरटी	666	0 00 64

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-

प्रधान सचिव।

बहुद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 15 जून, 2006

संख्या विद्युत-छ- (5) -6/2006.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी0 सी0) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल चुहला, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में 132 के0 वी0 डबल संचार लाईन उहल चरण-III चुहला में मट्टनसिद्ध के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित है या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इसके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस द्वारा द्वारा अपेक्षित अथवा प्रासंगिक अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिस उक्त परिक्षेत्र में वर्णित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, हि0 प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड, मण्डी, जिला मण्डी, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला : मण्डी तहसील : लडभड़ोल

गांव	खसरा नं0	रकबा (बीघों में)
1	2	3
चुहला	613/1	0 00 04
	614/1	0 00 04
	615/1	0 00 03
	616/1	0 00 02
	5867/625/1	0 04 06
	699/1	0 02 02
	700/1	0 00 14
	1007/1	0 01 14
	1008/1	0 00 10
	1809/1	0 00 13
	978/1	0 00 08
	2404/1	0 00 19
	2632/1	0 01 12
	2403/1	0 00 07
	2631/1	0 00 06
	3323/1	0 00 12
	3324/1	0 00 12
	3325/1	0 00 15
	3335/1	0 01 04
	5512/1	0 04 01
	5742/1	0 03 04
किला ..	21	1 04 12

शिमला-2, 12 जून, 2006

संख्या विद्युत-छ- (5)-14/2005.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि पब्बर वैली पावर कारपोरेशन लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी0 सी0) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्/सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः उप-मुहाल चौरी, तहसील जुब्बल, जिला शिमला में साइडा कुड्डू जल विद्युत परियोजना के आवासीय कलौनी, स्टोर तथा वर्कशाप आदि के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अतिआवश्यक अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, थिसिल बैंक भवन, शिमला-3, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश देने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश भी देते हैं कि अत्याधिक आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हि0 प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड, थिसिल बैंक भवन, शिमला-3 हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पश्चात देने में पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।

4. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, थिमिल बैंक भवन, शिमला-3 (हि० प्र०) में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला : शिमला तहसील : जुब्बल

उप-मुहाल	खसरा नं0	रकबा (हैक्टेयर में)
1	2	3
चौरी	1392	0 00 78
	1393	0 00 90
	1397	0 01 96
	1401	0 01 58
	1403	0 03 68
	1407	0 05 49
	1365	0 02 87
	1383	0 04 00
	1394	0 01 94
	1396	0 01 88
	1400	0 05 00
	1406	0 03 62
	1411	0 02 06
	1420	0 07 45
	1380	0 03 12
	1381	0 03 54
	1364	0 02 04
	1336	0 04 65
	1333	0 04 78
	1334	0 00 95
	1337	0 06 07
	1366	0 00 71
	1416	0 08 96
	1417	0 05 87
	1373	0 01 02
	1359	0 01 45
	1371	0 01 38
	1384	0 03 78
	1385	0 01 38
	1404	0 01 87
	1360	0 02 17
	1370	0 01 51
	1398	0 02 91
	1408	0 06 28
	1358	0 01 54
	1369	0 01 32
	1387	0 02 42
	1399	0 03 42
	1405	0 04 14
	1330	0 01 67
	1340	0 02 64
	1395	0 02 94
	1361	0 02 07
	1386	0 02 80
	1402	0 08 11
	1339	0 02 80
	1368	0 01 93
	1332	0 01 95
	1390	0 03 99
	1338	0 04 19
	1362	0 01 11
	1391	0 02 48
	1341	0 03 32
	1367	0 06 44
	1342	0 03 27
	1356	0 02 00
	1363	0 02 00
	1344	0 01 17
	1347	0 01 80
	1348	0 12 45
	1354	0 06 04
	1355	0 06 29
	1350	0 01 28
	1374	0 07 98
	1353	0 05 35
	1346	0 06 22
	1345	0 12 66
	1352	0 05 72
	1357	0 04 18
	1343	0 07 46
	1349	0 01 33
	1351	0 01 03
	1252	0 00 93
	1278	0 06 01
	1254	0 04 61
	1285	0 02 02
	1258	0 02 81
	1259	0 02 10
	1266	0 05 89
	1314	0 04 01
	1287	0 02 44
	1290	0 02 61
	1283	0 01 71
	1309	0 09 85
	1260	0 02 62
	1301	0 02 82
	1268	0 08 01
	1261	0 02 98
	1272	0 08 01
	1279	0 06 33
	1310	0 03 79
	1322	0 04 76
	1326	0 04 06
	1274	0 02 13
	1300	0 02 05
	1299	0 01 95
	1325	0 06 60
	1328	0 03 01
	1329	0 00 58
	1327	0 01 73
	1331	0 02 49
	1286	0 08 00
	1304	0 08 20
	1319	0 02 14
	1324	0 01 60
	1315	0 01 53
	1318	0 01 41
	1284	0 03 15
	1287	0 02 92
	1303	0 01 64
	1263	0 01 68
	1271	0 07 34
	1294	0 02 79
	1295	0 01 19
	1289	0 06 12
	1335	0 19 22
	1264	0 04 86
	1293	0 03 63
	1265	0 03 85
	1267	0 03 81
	1269	0 03 27
	1275	0 03 79
	1277	0 07 10
	1302	0 05 45

1	2	3
	1292	0 03 34
	1291	0 00 72
	1298	0 12 16
	1262	0 03 26
	1276	0 18 91
	1273	0 01 08
	1306	0 02 62
	1307	0 10 47
	1308	0 10 42
	1230	0 07 02
	1313	0 08 78
	1297	0 01 46
	1305	0 00 50
किता ...	137	5 51 13

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
प्रधान सचिव (विद्युत)।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 13 जून, 2006

संख्या पी0 बी0 डब्ल्यू0 (बी0)ए0-(7) 1-102/2004.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव महाल बाडी, तहसील पधर, जिला मण्डी में हारडगलू-पधर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश देने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मध्य क्षेत्र, मण्डी के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला : मण्डी तहसील : पधर

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र (बीघा-बिस्वा में)
बाडी/534	400/367/1	0 02 00
किता .	1	0 02 00

शिमला-2, 12 जून, 2006

संख्या पी0 बी0 डब्ल्यू0 बी0 ए0 (7) 1-106/2000.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव शलागडा एवं बधावणी, तहसील व जिला शिमला में हीरानगर-घमून सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त द्वारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस द्वारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फील्ड, शिमला-3 के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला : शिमला तहसील : शिमला (ग्रामीण)

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1	2	3
शलागडा	165	0 25 36
	166	0 07 70
	167	4 92 02
किता ...	3	5 25 08
बधावणी	36	2 10 10
	38	0 35 86
	39	0 15 31
	40	0 02 73
	37	0 36 56
	32	0 16 34
	34	0 15 59
	35	0 00 51
	29	1 34 91
	31	1 68 77
	33	0 87 57
किता .	11	7 24 25

शिमला-2, 16 जून, 2006

संख्या पी0 बी0 डब्ल्यू0 बी0 ए0 (7) 1-86/2005. यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बडागांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला में बडागांव-बरगल सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा प्रासंगिक सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सक्षम प्राधिकार देते हैं।

4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 17(4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5-ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

5. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, रामपुर बुशैहर के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला : शिमला		तहसील : कुमारसैन		
गांव	खसरा नं0	क्षेत्र (हैक्टेयर में)		
बड़ागांव	104/1	0	03	68
	105/1	0	01	51
कुल	2	0	05	19

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
प्रधान सचिव।

भाग-2—वैधानिक नियमों को छोड़कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

Office of the District Magistrate Bilaspur District, Himachal Pradesh

NOTIFICATION

Bilaspur, the 16th June, 2006

No. BLS-PESHI-1(2)92-II-24597-667.—In exercise of powers conferred under section 115 of the Motor Vehicle Act, 1988 read with delegation made by the State Government, I, Maneesh Garg I.A.S., District Magistrate Bilaspur, in order to regulate traffic and to avoid accidents and facilitate public convenience and safety, do hereby order prohibiting, loading and unloading of medium vehicle and heavy vehicle during following time from Gandhi Chowk to Nagar Panchayat Office Ghumarwin, District Bilaspur (H. P.):—

During Winter	During Summer
From 9.00 A.M. to 11.00 A.M.	From 7.30 A.M. to 10.30 A.M.
From 3.00 P.M. to 6.00 P.M.	From 2.00 P.M. to 6.00 P.M.

During non-restriction hours the loading and unloading shall be done at earmarked places only.

No Parking Zone :

The following stretches of main market Ghumarwin and NH 88 are hereby declared as no parking zone :—

(*i*) From Civil Hospital Ghumarwin to Seer Khad Bridge on NH-88 except for place earmarked by local administration.

(*ii*) From Gandhi Chowk to Kachahari Parishar in the main market Ghumarwin except at places earmarked by the local administration.

(*iii*) From main road to Bus Adda Ghumarwin.

This order shall come into force with immediate effect.

MANEESH GARG,
District Magistrate,
Bilaspur District (H. P.)

कार्यालय उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

अधिसूचना

मण्डी, 8 जून, 2006

संख्या 1-12/2006-वैल-एमडी-मनकंना-बैठक-710.— प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं0 ए-वैल-एफ(4)14/76-पार्ट-8 दिनांक 6 जनवरी, 2006 में अनुसूचित जाति/जन-जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत जिला स्तरीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति अत्याचार निवारण एवं प्रबोधन समिति के गठन हेतु सरकारी/गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकित किए जाने हेतु प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उल्लेखित अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित सदस्यों को नामांकित किया जाता है:

क्र0 सं0	सदस्य का नाम व पता	
	सरकारी सदस्य	
1.	जिला दण्डाधिकारी, मण्डी, हिमाचल प्रदेश	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक, मण्डी, हिमाचल प्रदेश	सदस्य
3.	श्री टशी सन्दूप, परियोजना अधिकारी, ग्रामीण विकास अभिकरण, मण्डी, हिमाचल प्रदेश।	सदस्य
4.	श्री ओम प्रकाश भटुगरु, अधिशाषी अभियन्ता (डिजाईन), सैंट्रल जोन, मण्डी, हिमाचल प्रदेश।	सदस्य
5.	श्री एन0 एल0 वर्धन, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), करसोग।	सदस्य
6.	श्री एस0 सी0 धीमान, अधिशाषी अभियन्ता, लो0 नि0 वि0, मण्डल-1, मण्डी (हि0 प्र0)।	सदस्य
7.	डा0 हेमन्त कुमार (एम0 डी0), क्षेत्रीय चिकित्सालय, मण्डी।	सदस्य
	गैर-सरकारी सदस्य	
8.	श्री दमोदर दास, विधायक, निर्वाचन क्षेत्र बल्ह	सदस्य
9.	श्री टेक चन्द डोगरा, विधायक, निर्वाचन क्षेत्र नाचन।	सदस्य
10.	श्री मस्त राम, विधायक, निर्वाचन क्षेत्र करसोग।	सदस्य
11.	श्री चन्दू राम, अध्यक्ष, जिला परिषद्, मण्डी, हिमाचल प्रदेश।	सदस्य
12.	श्री हिरदा राम, सदस्य जिला परिषद्, करसोग, मण्डी (हि0 प्र0)।	सदस्य
13.	श्री परस राम, निवासी गांव कमल गलू, डा0 नौहली, तहसील जोगिन्द्रनगर बिकास खण्ड समिति, द्रंग)।	सदस्य
14.	जिला कल्याण अधिकारी, मण्डी (हि0 प्र0)।	सदस्य-सचिव

उक्त समिति अनुसूचित जाति/जन-जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत जिला प्रशासन के पास पंजीकृत मामलों के निपटारे तथा पात्र मामलों में राहत राशि प्रदान करने की त्रैमासिक समीक्षा हेतु बैठक करेगी तथा बैठक में लिए गए निर्णयों की सूचना सरकार को भेजेगी।

हस्ताक्षरित/-
जिला दण्डाधिकारी,
मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

OFFICE OF THE DISTRCIT MAGISTRATE, MANDI, DISTRICT MANDI. H. P.

NOTIFICATION

Mandi, the 16th June, 2006

No. MND-SR-RA 2005 24296-300.—In partial modification of this Office Notification No. MND-24-MLC-21/87-Vol-II-5758-63 dated 13-3-1991, the time of entering the vehicle from National Highway 21 near PWD Rest House, Sundernagar downwards Dental College *be read* 10 P.M. to 6 A.M. *instead* of 9 P.M. to 6 A.M.

This order shall come into force with immediate effect.

Sd/-

District Magistrate,
Mandi District (H.P.).

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी सभायें, बिलासपुर (हि0प्र0)

कार्यालय आदेश

बिलासपुर, 31 मार्च, 2006

संख्या कृप0-वी0एल0पी0/764-69.—यह कि दी अमर पोल्ट्री सहकारी सभा सी0 घुमारवीं, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश का पंजीयन दिनांक 1-2-1980 को पंजीयन संख्या 62 के द्वारा हुआ था । सभा उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विफल रही है जिस हेतु सभा का पंजीयन किया गया था तथा पंजीयन के पश्चात् सभा ने कोई भी निर्धारित कार्य नहीं किया है ।

यह कि सभा को इस कार्यालय के कार्यालय आदेश का पृष्ठांकन संख्या 2772-79, दिनांक 29-11-2004 के अन्तर्गत विघटन में डाला गया था तथा निरीक्षक, सहकारी सभाएं, घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को उक्त सहकारी सभा का विघटक नियुक्त किया गया था ।

यह कि उक्त सभा के विघटक ने उक्त सभा को विघटन कार्यवाही की अन्तिम रिपोर्ट समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए दिनांक 31-3-2006 को इस कार्यालय में प्रेषित कर दी है तथा उक्त तिथि को सभा का अवशेष पत्र शून्य हो गया है ।

अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मैं, वी0 आर0 पटियाल, सहायक पंजीयक, सहकारी सभायें, बिलासपुर (हि0 प्र0) हिमाचल प्रदेश सहकारी सभाएं अधिनियम, 1968 (ऐक्ट नं0 3 आफ 1969) की धारा 83(2) के अन्तर्गत पंजीयक, सहकारी सभायें (प्राथमिक) को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी अमर पोल्ट्री सहकारी सभा सी0, घुमारवीं, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0) के पंजीयन को रद्द करने के आदेश जारी करता हूं ।

वी0 आ.र0 पटियाल,
पंजीयक सहकारी सभाएं (प्राथमिक),
सहकारी सभाएं, बिलासपुर,
हिमाचल प्रदेश ।

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी सभाएं, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

धर्मशाला, 30 मई, 2006

संख्या 2-232/89(विघटन) 1990-95. –निरीक्षक, सहकारी सभाएं, उपवृत्त शाहपुर ने निरीक्षण करने पर निरीक्षण पत्र 10-1-2006 में उल्लेख किया है कि दी कैरी महिला थ्रिफ्ट एण्ड सेविंग सहकारी सभा सी0 कैरी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा अपना कार्य काफी समय से नहीं कर रही है और सभा का कारोबार प्रायः बन्द पड़ा हुआ है । सभा के सदस्य भी सभा के कार्य को चलाने के इच्छुक नहीं हैं, तथा निरीक्षक ने सभा को विघटन में डाले जाने की सिफारिश की है ।

सभा का कार्य गत कई वर्षों से पूर्णतया बन्द पड़ा हुआ है इस सभा को विघटन में डाला जाना उचित है ।

अतः मैं, अर्जुन सिंह, सहायक पंजीयक, सहकारी सभाएं, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश सहकारी सभाएं अधिनियम, 1968 की धारा 78 के अन्तर्गत दी कैरी महिला थ्रिफ्ट एण्ड सेविंग सहकारी सभा सी0 कैरी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा को विघटन में डालने के आदेश देता हूं, और निरीक्षक, सहकारी सभाएं, उपवृत्त शाहपुर को सहकारी सभाएं अधिनियम, 1968 की धारा 79 के अन्तर्गत विघटक नियुक्त करता हूं, तथा उन्हें आदेश देता हूं कि वह सभा के प्राप्तव्यों एवं दायित्वों का निपटारा करते हुए अंतिम समापन प्रतिवेदना इस कार्यालय को समयबद्ध अवधि में प्रेषित करें ।

धर्मशाला, 30 मई, 2006

संख्या 2-232/89(विघटन)-1996-2001. - निरीक्षक, सहकारी सभाएं, उपवृत्त शाहपुर ने निरीक्षण करने पर निरीक्षण पत्र 10-1-2006 में उल्लेख किया है कि दी धनोटू महिला थ्रिफ्ट एण्ड सेविंग सहकारी सभा सी0 धनोटू, तहसील शाहपुर अपना कार्य काफी समय से नहीं कर रही है और सभा का कारोबार प्रायः बन्द पड़ा हुआ है । सभा के सदस्य भी सभा के कार्य को चलाने के इच्छुक नहीं हैं, तथा निरीक्षक जो सभा को विघटन में डाले जाने की सिफारिश की है ।

सभा का कार्य गत कई वर्षों से पूर्णतया बन्द पड़ा हुआ है । इस सभा को विघटन में डाला जाना उचित है ।

अतः मैं, अर्जुन सिंह, सहायक पंजीयक, सहकारी सभाएं, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश सहकारी सभाएं अधिनियम, 1968 की धारा 78 के अन्तर्गत दी धनोटू महिला थ्रिफ्ट एण्ड सेविंग सहकारी सभा सी0 धनोटू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा को विघटन में डालने के आदेश देता हूं, और निरीक्षक, सहकारी सभाएं, रैत को सहकारी सभाएं अधिनियम, 1968 की धारा 79 के अन्तर्गत विघटक नियुक्त करता हूं, तथा उन्हें आदेश देता हूं कि वह सभा के प्रस्तावों एवं दायित्वों का निपटारा करते हुए समापन प्रतिवेदना इस कार्यालय को समबद्ध अवधि में प्रेषित करें ।

अर्जुन सिंह,
सहायक पंजीयक,
सहकारी सभाएं, धर्मशाला,
हिमाचल प्रदेश ।

Office of the Deputy Registsar Co-operative Societies Central Division, Mandi (H. P.)

OFFICE ORDER

Mandi, the 17th June, 2006

No. Co-op/DRC(Misc.) 2006-219-40.—Government of India has enacted the Right to Information Act, 2005 (Act No. 22 of 2005) with a view to provide the practical regime of right to information for citizens to secure access to information under the control of Public Authorities in order to provide transparency and accountability in the working of every public authority, which came into force on 12th October, 2005.

Right to information means the right to information accessible under this Act which is held by or under the control of any public authority is to be disseminated to the citizens through notice boards, newspaper, public announcements, broadcast in addition to their (Citizens) demand, to bearing about more transparency in the functioning of these authorities.

Whereas the institutions registered under the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (Act No. 3 of 1969) having got/getting substantial

finances from the Central/State Government are public authorities within the meaning of section 2 (*h*) of Right to Information Act, 2005.

In view of the foregoing I, S. R. Rathour, Deputy Registrar, Co-operative Societies Central Division, Mandi, Himachal Pradesh exercising the powers of the Registrar, Co-operative Societies (Secondary) do hereby declare all the Secondary Co-operative Societies of this Division those have received/are receiving Government share Capital/other financial assistance from Central/State Government, as Public Authorities under Right to Information Act, 2005.

All these institutions shall be liable to all the duties, liabilities, responsibilities and obligations cast upon such authorities under the *ibid* Act.

S. R. RATHOUR,
Deputy Registrar,
Co-op. Societies (C) Divn. Mandi,
Himachal Pradesh.

भाग-3—अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाईनैंशियल कमिश्नर तथा कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA

REGULATIONS FOR HOLDING COMPETITIVE EXAMINATION FOR APPOINTMENT TO THE CADRE OF CIVIL JUDGES (JUNIOR DIVISION)

NOTIFICATIONS

*Shimla-*1, *the* 20*th*/21*st June,* 2006

No. HHC/Rules'22(25)/83-13413.—In exercise of the powers conferred under Rule 2(1)(*g*)(*i*) & (*ii*) read with Rule 5 of the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004, the High Court of Himachal Pradesh is pleased to make the following amendments in "The Himachal Pradesh Judicial Service (Syllabus and Allocation of Marks) Regulations, 2005":—

1. *Short title.*—These Regulations shall be called "the Himachal Pradesh Judicial Service (Syllabus and Allocation of Marks) (1st Amendment) Regulations, 2006."

2. *Commencement.*—They shall come into force with immediate effect.

3. *Amendment.*—Regulation No. 3 to "the Himachal Pradesh Judicial Service (Syllabus and Allocation of Marks) Regulations, 2005," shall be substituted as follows :—

"3. *Allocation of marks.*—Competitive examination for appointment to the cadre of Civil Judges (Junior Division) to be appointed by direct recruitment, shall consist of :—

(*i*) *Preliminary examination* :

All the candidates who apply for the post(s) and are found eligible shall be called for a preliminary examination which shall be an objective type examination, consisting of the following three papers of 100 marks each :—

(*a*) Civil Law-I.
(*b*) Civil Law-II.
(*c*) Criminal Law.

Each peper shall be of one hour duration and the examination in all the three papers shall be held on the same day.

(*ii*) *Main Examination* :

On the basis of the marit obtained in the preliminary examination, candidates equal to fifteen the number of vacancies to be filled in shall be called for taking the main examination.

The main examination for the cadre of Civil Judges (Junior Division) shall consist of :

3. (*a*)	Written examination	900 marks
(*b*)	Viva-voce	100 marks
	Total ..	1000 marks

The syllabus for the preliminary examination shall be the same as provided for paper-I to III for the main examination in Regulation 4 below."

4. *Setting of papers.*—Regulation 5 shall be substituted as under :

"The Examiner shall set the papers in the main examination to test the practical ability of the candidates rather than the range of their theoretical knowledge. For this purpose the papers shall include questions giving facts of a given case requiring the candidates to frame issues, to write a judgement and to discuss the admissibility of evidence."

5. In Regulation 6(*i*) after the words 'any paper' the words 'main examination' shall be added.

In Regulation 6(*ii*) for the words "written test" the words "main examination" shall be substituted.

In Regulation 6(*vi*) for the words "written examination" the words "main examination" shall be substituted."

By order,

J. N. BAROWALIA,
Registrar (Rules).

*Shimla-*1, *the* 20*th*/21*st June,* 2006

No. HHC/Rules (Amendment)/91-13400.—In exercise of the powers vested under Section 23 of the State of Himachal Pradesh Act, 1970, read with Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 and Section 122 of the Code of Civil Procedure, 1908 (as amended by Act No. 104 of 1976) and in exercise of all other powers, the High Court of Himachal Pradesh is pleased to make the following amendments in the Rules and Orders of Punjab and Haryana High Court Volume-2 as applicable to the High Court of Himachal Pradesh, namely:—

(1) Rule 14 of Section-B of Chapter 8 Part-E of Rules and Orders of Punjab and Haryana High Court Volume-2 as applicable to the State of Himachal Pradesh, shall be substituted by the following amendment :—

"14. *Application for deposit.*—When a deposit is tendered by a depositor either in person or through a duly authorised agent, he will present an application to the Court, together with demand draft or banker's cheque or account payee cheque drawn in favour of the Presiding Officer of that Court (by designation). The application shall be verified from the judicial record of the case concerned by the Ahlmad and if it is in order he shall pass it on to the Nazir together with the file of judicial record. The Nazir shall then place the application before the Presiding Officer who will make an endorsement on the file for depositing the money into the Civil Court deposit and thereafter return the application to the Nazir for further action. If the Presiding Officer does not approve the deposit, he shall direct the

return of the aforesaid demand draft or banker's cheque or account payee cheque, as the case may be, to the depositor there and then. No payment(s) in cash shall be accepted:

Provided that when the payment is tendered by account payee cheque, it shall be drawn on a local bank and application accompanying the cheque must contain a specific averment, every time the deposit is made through the cheque, that in the bank account from out of which the cheque is being issued, there is sufficient amount to cover the amount mentioned in the cheque and if this averment turns out to be false or incorrect, the applicant should face penal consequences."

(2) Rule 44 of section B of Chapter 8, Part I of Rules and Orders of Punjab and Haryana High Court, Volume-2 as applicable to the State of Himachal Pradesh shall be substituted as under :

"44. *Application for deposit: How to be dealt with.* When a deposit is tendered by a depositor in person or through a duly authorised agent, he will present an application to the court together with demand draft or banker's cheque or account payee cheque drawn in favour of the Presiding Officer of that Court (by designation). This application shall be verified from the judicial record of the case concerned by the Ahlmad and if it is in order, he shall pass it on to the Nazir. The Nazir shall then place the application before the Presiding Officer, who if he approves the deposit, shall sign the 'challan' in duplicate after initialing the amount in Column 7 of the "Register of Receipts" and then hand over the application and the challan to the Nazir who will deposit the same in to the Treasury. If the Presiding Officer does not approve the deposit, he shall order return of the aforesaid demand draft or banker's cheque or account payee cheque, as the case may be to the depositor or his authorized agent and then he shall cancel, over his own signature, the entries which have been made by the Nazir in all the documents including the register. No payment(s) in cash shall be accepted by the Nazir:

Provided that when the payment is tendered by account payee cheque, it shall be drawn on a local bank and application accompanying the cheque must contain a specific averment, every time the deposit is made through the cheque, that in the bank account from out of which the cheque is being issued there is sufficient amount to cover the amount mentioned in the cheque and if this averment turns out to be false or incorrect the applicant should face penal consequences."

(3) Moreover Rule 6 of Chapter 8 contained in Part A of Rules and orders of High Court of Punjab and Haryana Volume 2, as applicable to the State of Himachal Pradesh, shall stand deleted.

The amendments shall come into force with immediate effect.

BY ORDER OF THE COURT,

Sd/-
Registrar (Rules).

PERSONNEL (A P-II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th June, 2006

No. Per (AP-B) A (3)-4/2005. In continuation of this Department Notification of even number dated 20th April, 2006, the Governor of Himachal Pradesh is further pleased to publish the record and other activities of the Department as required under the provision of sub section (1) (*b*) of Section 4 of the Right to Information Act, 2005 as under:

The Chief Minister is Minister-in-charge and Chief Secretary is Head of Department of Personnel Department. The organizational set up of Department of Personnel is as under :

At Government Level :

1. Principal Secretary /Secretary (Personnel) to the Government of Himachal Pradesh (as the case may be).
2. Additional Joint / Deputy / Under Secretary (Personnel) to the Government of Himachal Pradesh (as the case may be).
3. Section Officer as Section Incharge.

The functions of Department of Personnel are as under:

PERSONNEL-I

1. Indian Administrtaive Service :

1. Posting/Transfer
2. Release of Pay Scales:
 - (*i*) Sr. Time Scale after 4 years
 - (*ii*) Jr. administrative Grade after 9 years
 - (*iii*) Selection Grade after 13 years
 - (*iv*) Selection Grade after 16 years
 - (*v*) Above Supor Time Scale after 25 years
 - (*vi*) Promotion in Chief Secretary grade
3. Confirmation
4. Leave
5. Deputation including Foreign Assignment
6. Disciplinary Proceedings/Court Cases
7. Trainings
8. Loan/Advances
9. Issues of retirement notification including issue of N. D. C. & release of retrial benefits.

2. Heads of Departments :

1. Posting/Transfer.
2. D. P. C.s of H.O. Ds. of respective Departments
3. Confirmation
4. Disciplinary Proceedings/Court Cases
5. Trainings
6. Leave
7. Loan/Advances
8. Issue of retirement notification including issue of N. D. C. & release of retrial benefits.

PPERSONNEL-II

1. Policy regarding Annual Confidential Reports
2. Policy regarding Transfer of Government Employees.
3. Policy regarding appointment on compassionate grounds.
4. Policy regarding regularization of Part-Time workers.
5. Educational Qualification clarification thereof
6. Instructions regarding Casual Leave & Compensatory Leave.
7. Instructions regarding Verification of Character and Antecedents.
8. Instructions regarding Facilities to Sportsman.
9. Instructions regarding Bonafide Himachali Certificate.
10. Clarifications regarding service matters, Conduct Rules, C. C. S. (C C & A) Rules, Retirement, Confirmation, Seniority etc.
11. Clarification regarding deputation/Secondment etc.
12. Annual Administrative Report in respect of Department of Personnel.

13. Governor's Address in respect of Department of Personnel.
14. Chief Minister Address in respect of Department of Personnel.
15. Instructions regarding efficiency in Administration.
16. Constitution of Departmental Promotion Committee.
17. All important cases of advices/clarifications with regard to services matters-advisory Department for this purpose.
18. Administrative Department in respect of Himachal Pradesh Public Service Commission Himachal Pradesh Administrative Tribunal and Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board.
19. Appointment of Chairmen/Members in Himachal Pradesh Administrative Tribunal, Himachal Pradesh Public Service Commission & Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board.
20. Appointment of Member (Technical & Civil) in Himachal Pradesh State Electricity Board.
21. Meeting of Efficiency in administration in respect of Department of Personnel.
22. Replies of Vidhan Sabha Question/Vidhan Sabha Committees.

Personnel-III

1. Recruitment and Promotion.
2. Policy regarding reservation.
3. Prescribing age for entry into service.
4. Regularisation of Daily Wagers /Contingent Paid Workers-Work Charged/Contractual Appointment/Adhoc/Tenure of any other mode of appointment as may be decided by the Government from time to time.
5. Reservation in service for Ex-serviceman.
6. All important proposals regarding amendment of Recruitment and Promotion Rules.
7. Declaration of Posts as Gazetted.
8. Declaration of Posts as Selection/Non-Selection.
9. Approval for de-reservation of posts.
10. Meeting of Joint Consultative Committee with the representative of the N. G. O.'s Federation.
11. Meeting with the S. C./ S. T. Government employee Welfare Association.
12. Meeting with Himachal Pradesh Secretariat Services (Class-III) Association.
13. Meeting with Himachal Pradesh Secretariat Services (Gazetted Officers) Association.
14. Counting of Miltary or other service for qualifying service.
15. Replies to observation of Vidhan Sabha Committees.
16. Replies to important letters/communication received from the Government of India with regard to reservation policy in service.
17. All important cases of advice/clarification with regard to reservations in services received from the departments.
18. Clarification/advice with regard to reservation in services for Ex-serviceman.
19. All correspondence on important matters in respect of reservation to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in services with the Government of India and Commissioner for S. C./ S. T. Government of India and replied to the observations made by the Vidhan Sabha Committee on the welfare of S. C. and S. T.
20. Recruitment and Promotion Rules of all departments, their placement before Rules Sub-Committee/Rules Committee.
21. Implementation of the decison arrived at the T. C. C. and other meetings.
22. Representations received from various S. C. S. T. Associations, individuals representation and communication received from the official/non-officials with regard to reservation policy.

Personnel-IV

1. Establishment matters in respect of H. P. A. S./ H. P. S. S. Officers.
2. Transfers & Postings of H. P. A. S./H. P. S. S. Officers.
3. Promotions of H. P. A. S./H. P. S. S. Officers.
4. Fixation of Seniority H. P. A. S./H. P. S. S. Officers.
5. Disciplinary Proceedings against H. P. A. S./ H. P. S. S. Officers.
6. Action on C. D. R. Reports.
7. All type of Court Cases of H. P. A. S./H. P. S. S. Officers.
8. Continuation/creation of posts of H. P. A. S./ H. P. S. S. Officers.
9. Time Scales of H. P. A. S. Officers.
10. Verification of character antecedents of H. P. A. S. Officers.
11. Permission for purchase of land/construction of house in respect of H. P. A. S./H. P. S. S. Officers.
12. Grant of Permission for engaging Private Counsels.
13. Foundational /Professional Training of H. P. A. S. (Direct/Promotee) Officers at H. I. P. A.
14. Training within State or outside State of H. P. A. S. /H. P. S. S. Officers.
15. Foreign Training of H. P. A. S. Officers.
16. Counting of Military or other service for qualifying service in respect of H. P. A. S. Officers.
17. Amendment in R&P Rules/H. P. A. S. Rules, 1973, in respect of H. P. S. S./H. P. A. S.
18. Retirement orders in respect of H. P. A. S./ H. P. S. S. Officers.
19. Vidhan Sabha/Matters *i. e.* A. Q. etc. in respect of H. P. A. S./H. P. S. S. Officers.
20. Index Cards/Civil List of H. P. A. S./ H. P. S. S. Officers.
21. G. P. F. of H. P. A. S./H. P. S. S. Officers.
22. All kinds of leave of H. P. A. S./H. P. S. S. Officers.
23. Determination of terms and conditions of deputation of H. P. A. S. Officers.
24. H. B. A./Car/Other advances of H. P. A. S./ H. P. S. S. Officers.
25. Pension Cases of H. P. A. S./H. P. S. S. Officers.
26. Movable/Immovable property returns/information of H. P. A. S./H. P. S. S. Officers.
27. Medical Advances/Claims of H. P. A. S./H. P. S. S. Officers.
28. Audit Objections of H. P. A. S./H. P. S. S. Officers.
29. Permission under Conduct Rules of H. P. A. S./ H. P. S. S. Officers.
30. N. O. C. for acquiring Passport etc of H. P. A. S./H. P. S. S. Officers.
31. Other Misc. Correspondence of H. P. A. S./ H. P. S. S. Officers.

Confidential Cell

1. To maintain the Annual Confidential Reports of Indian Administrative Service Heads of Departments/Himachal Pradesh Administrative Service/Himachal Pradesh Secretariat Service/ Himachal Pradesh Higher Judicial Service/ Himachal Pradesh Judicial Service Officers.
2. Correspondance relating to these matters is being done.

Controller (Finance & Accounts) Department of Personnel

1. Matters relating to maintenance of service books, pay fixation, sanction of C. G. E. G. I. S. & H. P. G. I. S., issuance of salary slips and pension cases in respect of Indian Administrative Service/ Himachal Pradesh Administrative Service/ Himachal Pradesh Police Service/Heads of Department Himachal Pradesh Secretariat Service Officers.

2. Matters relating to pay fixation, issuance of salary slips and pension cases in respect of Chairman/Members of certain other institutions *viz.* Himachal Pradesh Public Service Commission, Himachal Pradesh Administrative Tribunal & Himachal Pradesh Subordianate Services Selection Boards etc.

By order
Sd/-
Chief Secretary.

कार्मिक (नियुक्ति-II) विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 जून, 2006

संख्या पर (एपी-बी) बी0 (2)-2/99.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 24-5-2001 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, अनुभाग अधिकारी/सहायक पंजीयक, वर्ग-I (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2001 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड अनुभाग अधिकारी/सहायक पंजीयक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2006 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपाबन्ध "क" का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, अनुभाग अधिकारी/सहायक पंजीयक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2001 के उपाबन्ध "क" से स्तम्भ संख्या-2 में विद्यमान मुख्य उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"1. अनुभाग अधिकारी	01 (एक)
2. सहायक पंजीयक	01 (एक)
कुल..	02 (दो

आदेश द्वारा,

एस0 एस0 परमार,
मुख्य सचिव।

[*Authoritative English text of this Department notification No. Per.(AP-B) B (2)-2/99, dated 15-6-2006 as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

PERSONNEL (AP-II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 15th June, 2006

No. Per. (AP-B) B (2)-2/99.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Section Officer/Assistant Registrar, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2001 notified *vide* this Department Notification of even number dated 24-5-2001, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Section Officer/Assistant Registrar, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2006.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Annexure-"A".*—In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Section Officer/Assistant Registrar, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2001, against column No. 2, for the existing provision, the following shall be substituted, namely:—

"1.	Section Officer	01 (One)
2.	Assistant Registrar	01 (One)
	Total..	02 (Two)

By order,

S. S. PARMAR,
Chief Secretary.

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 8 जून, 2006

संख्या होम-बी(ए) 2-5/84.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या होम-बी (ए) 2-5/84, तारीख 2 अगस्त, 2001 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश कारागार विभाग में सहायक अधीक्षक (जेल) वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कारागार विभाग, सहायक अधीक्षक (जेल) वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2006 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपाबन्ध "क" का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश कारागार विभाग, सहायक अधीक्षक (जेल) वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2001 के उपाबन्ध 'क' के स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:—

"भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता"।

आदेश द्वारा,

एस0 विजय कुमार,
प्रधान सचिव।

[*Authoritative English text of this department's Notification No. Home-B(A)2-5/84 (loose), dated 8-6-2006 as required under clause*(3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 8th June, 2006

No. Home-B(A)2-5/84.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following rules further to amend Himachal Pradesh Prisons Department, Assistant

Superintendent, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2001 notified *vide* this Department notification No. Home-B(A)2-5/84, dated 2-8-2001, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Prisons Department, Assistant Superintendent (Jails) Class-III (Non-Gazetted) Recruitment & Promotion (First Amendment) Rules, 2006.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Annexure-A.*—In Annexure "A" to the Himachal Pradesh Prisons Department, Assistant Superintendent (Jails) Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2001 for the existing title against Col. No. 10, the following shall be substituted, namely:—

"Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods."

By order,

S. VIJAY KUMAR,
Principal Secretary.

श्रम विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-1, 30 मई, 2006

संख्या 11-23/84 (लैब0) आई0डी0/06-मण्डी.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Harish Kumar s/o Shri Shyam Lal, r/o House No. 257/13 Paddal, Mandi Near I.T.I. Hostel Mandi (H.P.) *Vs.* The Executive Engineer, Electrical Division, H.P.S.E.B. Mandi, District Mandi (H.P.)के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा 5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

"Whether the termination of services of Shri Harish Kumar s/o Shri Shyam Lal workman by the Executive Engineer, H.P.S.E.B. Division Mandi, (H.P.) *w.e.f.* 25-12-1998 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified ? If not, what relief of service benefits and amount of compensation, the above aggrieved workman is entitled to ?"

शिमला-1, 3 जून, 2006

संख्या 11-23/84 (लैब0) आई0 डी0/06-मण्डी.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि President/Secretary Bijlee Mazdoor Sangh, unit Shanan, Joginder Nagar, District Mandi (H.P.) *Vs.* (1) The Superintending Engineer, P.S.E.B. Circle Shanan Power House Joginder Nagar, District Mandi (H.P.), (2) The Resident Engineer, P.S.E.B. Shanan Power House Joginder Nagar, District Mandi (H.P.) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

"Whether the demand raised by President/Secretary Bijlee Mazdoor Sangh Unit Shanan, Joginder Nagar, District Manni (H.P.) *vide* their demand notice dated 13-5-2004 (Copy enclosed) from the (1) The Superintending Engineer, P.S.E.B. Circle Shanan Power House Joginder Nagar, District Mandi (H.P.), (2) The Resident Engineer, P.S.E.B. Shanan Power House Joginder Nagar, District Mandi (H.P.) are legal and justified ? If Yes, what relief and consequential service benefits and amount of compensation, the above aggrieved workman is entitled to ?"

शिमला-1, 3 जून, 2006

संख्या 11-23/84 (लैब) आई0 डी0/06-मण्डी.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Chuni Lal s/o Shri Jaharu Ram, Village Tawajan, P.O. Nandi, Tehsil Chachiot, District Mandi (H.P.) *Vs.* The Divisional Forest Officer, Nachan, Forest Division Gohar, District Mandi (H.P.) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

"Whether the termination of services of Shri Chuni Lal s/o Shri Jaharu Ram workman by the Divisional Forest Officer, Nachan Forest Division Gohar, District Mandi (H.P.) *w.e.f.* 22-6-2004 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation, the above aggrieved workman is entitled to ?"

शिमला-1, 3 जून, 2006

संख्या 11-23/84(लैब0) आई0 डी0/06-मण्डी.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Kunje Ram s/o Shri Kapuru Ram, Village Bandal, P.O. Kalhani, Sub-Tehsil Bali Chowki, District Mandi (H.P.) *Vs.* The Divisional Forest Officer, Nachan

Forest Division, Gohar, District Mandi (H P) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है,

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा 5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 10-8/80-श्रम (जूरा), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

"Whether the termination of services of Shri Kunjo Ram s/o Shri Kapuru Ram workman by the Divisional Forest Officer, Nachan Forest Division Gohar at Mandi, District Mandi (H P.) w.e.f. 22-6-2004 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified ? If not, what relief of service benefits and amount of compensation, the above aggrieved workman is entitled to ?"

शिमला-1, 3 जून, 2006

संख्या 11-23/84 (लैब) आई० डी०/06 सुन्दरनगर.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Jhaber Singh s/o Shri Shetu, Village Khorsic (Turam), P O Devidhar, Tehsil Chachiot, District Mandi (H P) *Vs.* The Executive Engineer, HPPWD, Division Sunder Nagar, District Mandi (H P) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप धारा 5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 10-8/80-श्रम (जूरा), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

"Whether the termination of services of Shri Jhaber Ram s/o Shri Shetu workman by the Executive Engineer, H P P.W.D Division, Sunder Nagar, District Mandi (H P.) w.e.f. 1-3-2001 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified ? If not, what relief of service benefits and amount of compensation, the above aggrieved workman is entitled to ?"

शिमला-1, 3 जून, 2006

संख्या 11-2/04 (लैब) आई० डी०/06-बद्दी.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Sari Gurdial Singh s/o Shri Chauhta Ram, Village Kuranwala Tehsil Kasauli, District Solan (H P) *Vs.* Manager, M/s Dharampal Satyapal Limited, Unit-II, Baddiwala, District Solan (H P) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 10-8/80-श्रम (जूरा), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :-

"Whether the termination of services of Shri Gurdial Singh s/o Shri Chauhta Ram workman by the Management of M/s Dharampal Satyapal Ltd., Unit III, Baddiwala, District Solan (H P) w.e.f. 16-6-2004 on the basis of domestic enquiry is proper and justified ? If not, what relief and service benefits Shri Gurdial Singh is entitled to ? If Yes, what its legal effects."

शिमला-1, 3 जून, 2006

संख्या 11-1/8 (लैब) आई० डी०/06 सुन्दरनगर.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Suresh Kumar s/o Shri Tara Chand, r/o Village Khaniudi, P.O Bhanthal, Tehsil Karsog, District Mandi (H P) *Vs.* M/s Valley Extractions Pvt. Limited, Village Sanarli, P.O Bhanthal, Tehsil Karsog, District Mandi (H P.) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 10-8/80-श्रम (जूरा), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

"Whether the termination of services of Shri Suresh Kumar s/o Shri Tara Chand, workman by the Management of M/s Valley Extractions Pvt. Limited, Village Sanarli, P. O. Bhanthal, Tehsil Karsog, District Mandi (H. P.) w.e.f. 7-11-2001 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 as alleged by the workman is proper and justified ? If not, what relief of service benefits and amount of compensation, the above aggrieved workman is entitled to ?"

शिमला-1, 3 जून, 2006

संख्या 11-1/8 (लैब) आई० डी०/06-सुन्दरनगर.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Lal Singh s/o Shri Dhani Ram, r/o Village Damil, P.O Bhanthal, Tehsil Karsog, District Mandi (H P) *Vs.* M/s Valley Extraction Pvt Limited, Village Sanarli P. O. Bhanthal, Tehsil Karsog, District Mandi (H P.) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा(5) के अधीन विचार करने के

उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 10-8/89-श्रम (मुख), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है:—

"Whether the termination of services of Shri Lal Singh s/o Shri Dhani Ram workman by the Management of M/s Valley Extractions Pvt. Limited, Village Sanarli, P. O. Bhanthal, Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.) *w.e.f.* 9-11-2001 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 as alleged by the workman is proper and justified ? If not what relief of service benefits and amount of compensation, the above aggrieved workman is entitled to ?"

शिमला-1, 3 जून, 2006

संख्या 11-1/8 (लैब) आई० डी०/06-पुनर्लग्न. अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Surjan Singh s/o Shri Twaru, Ram r/o Village Khanyari, P. O. Seri-Bunglow, Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.) *Vs.* M/s Valley Extractions Pvt. Limited, Village Sanarli, P. O. Bhanthal, Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है,

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा 5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 10-8/89-श्रम (मुख), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है:—

"Whether the termination of services of Shri Surjan Singh s/o Shri Twaru Ram, workman by M/s Valley Extractions Pvt. Limited, Village Sanarli, P. O. Bhanthal, Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.) *w. e. f.* May, 2002 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 as alleged by the workman is proper and justified ? If not, what relief of service benefits and amount of compensation, the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला-1, 3 जून, 2006

संख्या 11-2/93 (लैब०) आई०डी०/06-बद्दी.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि (1) Smt Durga Devi w/o Shri Jeet Bhadur, (2) Smt. Mamta Sharma w/o Shri Duni Chand (3) Smt. Sita Devi w/o Shri Suraj Bhadur, (4) Smt Rameshwari Devi w/o Shri Nand Bhadur (5) Smt. Chabbi Maya w/o Shri Dal Bhadur, (6) Smt. Sundri Vishkarma w/o Shri Badri Parsad Vishkarma, (7) Smt. Asha Mati, (8) Smt. Kesri Devi w/o Shri Harigovind Ram *Vs.* M/s Kandhari Beverages Private Limited, Village Katha, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है,

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा 5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 10-8/89-श्रम (मुख), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है:—

"Whether the termination of services of (1) Smt Durga Devi w/o Shri Jeet Bhadur, (2) Smt Mamta Sharma w/o Shri Duni Chand Sharma, (3) Smt. Sita Devi w/o Shri Suraj Bhadur, (4) Smt Rameshwari Devi w/o Shri Nand Bhadur, (5) Smt Chabbi Maya w/o Shri Dal Bhadur, (6) Smt. Sundri Vishkarma w/o Shri Badri Parsad Vishkarma, (7) Smt. Asha Mati and (8) Smt. Kesri Devi w/o Shri Hari Govind Ram workmen by the Managing Director, M/s Kandhari Beverages Limited, Village Katha, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) *w. e. f.* 8-6-2004 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified ? If not, what relief of service benefits and amount of compensation, the above aggrieved workmen are entitled to?"

शिमला-171001, 3 जून, 2006

संख्या 11-1/95 (लैब) आई० डी०/06-रामपुर.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Vijay Singh s/o Shri Molak Ram, r/o Village Beel, P. O. Tunan, Tehsil Nirmand, District Kullu (H.P.) *Vs* The Executive Engineer, H.P.S.E.B. Division Rampur Bushehr, District Shimla (H.P.) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है,

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 10-8/89-श्रम (मुख), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है:—

"Whether the termination of services of Shri Vijay Singh s/o Shri Molak Ram workman by the Executive Engineer, H.P.S.E.B. Division Rampur Bushehr, District Shimla (H.P.) *w. e. f.* 25-6-1999 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला-1, 3 जून, 2006

संख्या 11-1/95 (लैब) आई० डी०/06-रामपुर.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Santosh Kumar s/o Late Shri Budhi Singh, Village Anu, P.O. Kareri, Tehsil Rampur Bushehr, District Shimla (H.P.) *Vs.* The Divisional Forest Officer, Rampur Division, Tehsil Rampur Bushehr, District Shimla (H.P.) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा 5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

"Whether the termination of services of Shri Santosh Kumar s/o Late Shri Budhi Singh workman by the Divisional Forest Officer, Forest Division Rampur, District Shimla (H.P.) *w.e.f.* 1-8-2003 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified ? If not, what relief of service benefits and amount of compensation, the above aggrieved workman is entitled to ?"

शिमला-1, 3 जून, 2006

संख्या 11-1/8 (लैब) आई० डी०/06-सुन्दरनगर.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Tara Chand s/o Shri Mohan Lal, Village Sanarli, P.O. Bhanthal, Tehsil Karsog, District Mandi (H-P.) *Vs.* M/s Valley Extractions Pvt. Limited, Village Sanarli P.O. Bhanthal, Tohsil Karsog, District Mandi (H.P.) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा 5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

"Whether the retrenchment of services of Shri Tara Chand s/o Shri Mohan Lal, workman by the Management of M/s Valley Extractions Pvt. Limited, Village Sanarli, P.O. Bhanthal, Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.) *w.e.f.* 6-11-2001 with notice, pay and retrenchment compensation, whereas persons junior to him are retained as alleged by the workman is proper and justified ? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to ?"

शिमला-1, 3 जून, 2006

संख्या 11-1/8 (लैब) आई० डी०/06-सुन्दरनगर.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Ishwar Dass s/o Shri Karam Chand, Village Rikki, P.O. Bhanthal, Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.) *Vs.* M/s Valley Extractions Pvt. Limited, Village Sanarli, P.O. Bhanthal, Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है ।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है।

"Whether the retrenchment of services of Shri Ishwar Dass s/o Shri Karam Chand, workman by the Management of M/s Valley Extractions Pvt. Limited, Village Sanarli, P. O. Bhanthal, Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.) *w. e. f.* 6-11-2001 with notice, pay and retrenchment compensation, whereas persons junior to him are retained as alleged by the workman is proper and justified ? If not, what relief of service benefits and amount of compensation, the above aggrieved workman is entitled to ?"

शिमला-1, 3 जून, 2006

संख्या 11-1/8 (लैब) आई० डी०/06-सुन्दरनगर.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Lila Dhar s/o Shri Dila Ram, r/o Village Rikki, P. O. Bhanthal, Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.) *Vs.* M/s Valley Extractions Pvt. Limited, Vjllage Sanarli, P. O. Bhanthal, Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :—

"Whether the termination of services of Shri Lila Dhar s/o Shri Dila Ram, workman by the Management of M/s Valley Extractions Pvt. Limited, Village Sanarli, P. O. Bhanthal, Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.) *w. e. f.* 7-11 2001 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 as alleged by the workman is proper and justified ? If not, what relief of service benefits and amount of compensation, the above aggrieved workman is entitled to ?"

(8)

हस्ताक्षरित/-
श्रम आयुक्त ।

ब अदालत श्री संजीव शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री अजय शर्मा पुत्र श्री जय गोपाल शर्मा, निवासी गांव व डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश .. प्रार्थी।

बनाम

ग्राम जनता .. प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री विधिका शर्मा की जन्म तिथि 8-8-2005 है। लेकिन उसकी पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बनीखेत के जन्म रजिस्टर में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बनीखेत के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 15-7-2006 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर। संजीव शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री संजीव शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री चैन सिंह पुत्र श्री प्रभ दियाल, निवासी गांव गढ़, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

ग्राम जनता .. प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री शानो देवी की जन्म तिथि 30-5-2003 है, जो कि ग्राम पंचायत चूहन के रिकार्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत चूहन के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 15-7-2006 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 9-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर। संजीव शर्मा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री मुजन सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर

मुकद्दमा नम्बर : 47/06 किस्म मुकद्दमा : तकसीम

उनवान :

मन्त राम पुत्र श्री सुन्दर, बासी टीका बड़ैहर, मौजा मेवा .. वादी।

बनाम

श्री धर्मपाल पुत्र श्री सुन्दर, बासी टीका बड़ैहर, मौजा मेवा, तहसील भोरंज .. प्रतिवादी।

प्रार्थना-पत्र बराये तकसीम अराजी खाता नम्बर 176 खतौनी नम्बर 199, खसरा नम्बरान किता 5 रकबा तादादी 6 K 18 M वाक्या टीका बड़ैहर, मौजा मेवा, तहसील भोरंज।

इश्तहार बनाम प्रतिवादी।

मुकद्दमा उपरोक्त तकसीम में प्रतिवादी नं0 4 धर्मपाल अरसा 25-30 वर्षों से लापता है। उसकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। इस वजह से तलबी इश्तहार द्वारा करवानी वाजिब है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रतिवादी को तकसीम के बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 15-7-2006 को आकर पैरवी कर सकते हैं हाजर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 6-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। मुजन सिंह,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

किस्म मुकद्दमा : दरुस्ती तारीख पेशी : 17-7-2006.

श्री धर्म देव पुत्र श्री प्रभदयाल पुत्र होरा, बासी टीका आधार, मौजा मेहलता, तहसील व जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

विषय—राजस्व अभिलेख शजरा नसब में दरुस्ती हेतु, आवेदन-पत्र।

प्रार्थी श्री धर्मदेव पुत्र प्रभदयाल, निवासी आधार, मौजा मेहलता, तहसील व जिला हमीरपुर ने आवेदन-पत्र दिया है कि प्रार्थी पैतृक गांव खडला, तहसील बलद्वाड़ा, जिला मण्डी का रहने वाला था और उसकी जात राजस्व कागजात शजरा नसब में लोहार दर्ज है। प्रार्थी ने लगभग तीस साल पहले वाक्या टीका आधार में भूमि खरीद की है और शजरा नसब में जाति तरखान दर्ज कर दी गई है। जो कि गलत है की दरुस्ती की जाये।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें प्रार्थी की जाति की राजस्व अभिलेख में

दरुस्ती करने पर किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-7-2006 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है अन्यथा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 9-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
हमीरपुर, जिला हमीरपुर,
हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्मा नम्बर : 62/Teh/2005. उनवान मुकद्मा : दरुस्ती

1. सर्वश्री प्रीतम चन्द, 2. प्रकाश चन्द, 3. शरद चन्द पुत्रान, 4. ब्रह्मी देवी, 5. सूना देवी, 6. चंचला देवी पुत्रियां रेलू पुत्र कालू, 7. रोशन लाल पुत्र वशी, निवासी चोहट, मौजा समूर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ..प्रार्थीगण ।

बनाम

1. श्रीमती गद्दो देवी विधवा सरदारू पुत्र गणेशा, निवासी मुहाल चोहट, मौजा समूर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ..प्रत्यार्थी ।

दरुस्ती इन्द्राज बाबत भूमि खाता नम्बर 12 मिन, खतौनी नं0 30, खसरा नं0 237, भूमि तादादी 0-36-27 है0 वाक्या मुहाल बगडी, मौजा समूर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, जमाबन्दी वर्ष 2002-03.

उपरोक्त उनवान इस अदालत में विचाराधीन है। इसमें प्रतिवादी गद्दो देवी मर चुकी है तथा उसकी कोई भी औलाद नहीं है । अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस केस के बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-7-2006 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर होकर पेश कर सकता है । गैर-हाजिर होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही की जायेगी ।

आज दिनांक 20-6-2006 को मेरे मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी हुआ ।

मोहर । हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्मा नं0 : 63/Teh/2005. उनवान मुकद्मा : दरुस्ती

1. सर्वश्री प्रीतम चन्द, 2. प्रकाश चन्द, 3. सरघ चन्द्र, 4. ब्रह्मी देवी, 5. सुना देवी, 6. सैना देवी, 7. चंचला देवी पुत्रियां स्व0 रेलू राम, निवासीयान मुहाल चोहट, मौजा समूर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा. हिमाचल प्रदेश प्रार्थीगण ।

बनाम

1. श्रीमती गद्दो देवी विधवा सरदारू पुत्र गणेशा, निवासी मुहाल मोहट (रवकड़), मौजा समूर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश प्रत्यार्थीगण ।

दरुस्ती बाबत भूमि खाता नं0 53, खतौनी नं0 149, खसरा नम्बरान 28-36, किस्सा 2, रकबा तादादी 0-10-88 है0 स्थित मुहाल चोहट, मौजा समूर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

उपरोक्त उनवान दरुस्ती इस अदालत में विचाराधीन है । प्रार्थीगण ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि वह इस भूमि के मालकान हैं तथा उपरोक्त रकबा को खुद काश्त करते हैं लेकिन कागजात माल में प्रतिवादी गद्दो देवी का नाम बतौर गैर-मौरूसी दर्ज है जो कि मौका के मुताबिक गलत है क्योंकि इसने कभी भी इस भूमि को काश्त नहीं किया है । प्रतिवादी फौत हो चुकी है तथा इसकी कोई भी औलाद नहीं है । अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस केस के बारे में किसी को कोई भी उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-7-2006 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में पेश होकर असालतन या वकालतन पेश कर सकता है । गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही की जायेगी ।

आज दिनांक 20-6-2006 को मेरे मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी हुआ ।

मोहर । हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मनसा राम, निवासी गांव कनोल, डाकघर चनौर, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता ।

श्री सुरेन्द्र कुमार ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र अभिमन्यु शर्मा का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाया गया है, अब दर्ज किया जावे । उसके पुत्र की जन्म तिथि 18-9-2003 है तथा बच्चे का जन्म कनोल गांव में हुआ है ।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इसका नाम दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 15-7-2006 समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वान्छित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 27-5-2006 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

Shri Vijay Kumar son of Shri Kehar Singh, r/o Katialu, P. O. Dohag (Dehrian), Tehsil Dehra, District Kangra, Himachal Pradesh.

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता ।

श्री Vijay Kumar ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र Subham का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाया गया है, अब दर्ज किया जावे । उसके पुत्र की जन्म तिथि 23-5-2002 है तथा बच्चे का जन्म Katialu गांव में हुआ है ।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इसका नाम दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 15-7-2006 समय 10 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करे अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 22-5-2006 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री मुनीश चौधरी, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री हमीर चन्द पुत्र श्री बक्शी राम, मुहाल मसरूर, मौजा बिलासपुर, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

आम जनता

विषय :—नाम की दरुस्ती ।

श्री हमीर चन्द पुत्र श्री बक्शी राम, निवासी मसरूर, मौजा बिलासपुर, तहसील देहरा ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दायर कर रखा है कि कागजात माल में उसका नाम चन्दू राम पुत्र बक्शी राम गलत दर्ज है । जबकि चन्दू राम पुत्र बक्शी राम, मुहाल मसरूर, मौजा बिलासपुर, तहसील देहरा की बजाए हमीर चन्द पुत्र बक्शी राम, मुहाल मसरूर, मौजा बिलासपुर, तहसील देहरा दर्ज होना है ।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि हमीर चन्द पुत्र बक्शी राम के नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर तिथि 15-7-2006 को प्रातः 10 बजे इस अदालत में पेश करे ।

आज दिनांक 5-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर । मुनीश चौधरी,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री मुनीश चौधरी, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री चरणदास पुत्र श्री मिलखो राम, मुहाल व मौजा गुम्बर, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

आम जनता

विषय :—नाम की दरुस्ती ।

श्री चरण दास पुत्र श्री मिलखी राम, मुहाल व मौजा गुम्बर, तहसील देहरा ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दायर कर रखा है कि कागजात माल में उसका नाम सरन दास पुत्र मिलखी राम, मुहाल व मौजा गुम्बर गलत दर्ज है जबकि चरण दास पुत्र मिलखी राम दर्ज होना चाहिए ।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि चरण दास पुत्र मिलखी राम, मुहाल व मौजा गुम्बर के नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर तिथि 15-7-2006 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में पेश करे ।

आज दिनांक 5-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर । मुनीश चौधरी,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री हंस राज, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री Sonam Phuntsok बनाम आम जनता

विषय :—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता ।

श्री Sonam Phuntsok पुत्र श्री Passang Gyalpo, निवासी मकलोडगंज, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है उसके भतीजे Ngawang Paljor की जन्म तिथि 4-10-1986 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म पंजीकृत न है । अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें ।

इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Ngawang Paljor का जन्म पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 17-7-2006 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे ।

आज दिनांक 17-6-2006 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर । हंस राज,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री हंस राज, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री Om Parkash बनाम आम जनता

विषय :—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता ।

श्री Om Parkash पुत्र स्व0 श्री Saroop Chand, निवासी धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Rajesh Kumar की जन्म तिथि 15-1-1967 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म पंजीकृत न है । अतः पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें ।

इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Rajesh Kumar का जन्म पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 17-7-2006 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे ।

आज दिनांक 13-6-2006 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर । हंस राज,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री हंस राज भाटिया, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री Gyatso बनाम आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Gyatso पुत्र श्री Dhondup, निवासी Mcleodganj (T.C.V.), तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Yeshi Dolma का जन्म तिथि 1-7-1987 है परन्तु एम0 सी0 Dharamshala में जन्म पजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें।

इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Yeshi Dolma का जन्म पंजीकृत किए जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 19-7-2006 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 6-6-2006 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हंस राज भाटिया,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री एच0 आर0 भाटिया, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री Wangpo बनाम आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Wangpo पुत्र श्री Phuntsok, निवासी Khara Danda Road Dharamshala, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Phurbu Tsering का जन्म दिनांक 15-6-1993 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जाएं।

इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Phurbu Tsering की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 19-7-2006 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 16-6-2006 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। एच0 आर0 भाटिया,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री हंस राज भाटिया, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री Kelsang Tsering बनाम आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Kelsang Tsering पुत्र Sh. Dorjee, निवासी मैकलोडगंज, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Tenzin Pema का जन्म दिनांक 25-8-1990 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसें पंजीकृत किये जाने के आदेश दिए जाएं।

इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tenzin Pema का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 19-7-2006 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16-6-2006 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। एच0 आर0 भाटिया,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री एच0 आर0 भाटिया, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश

श्री Wangpo बनाम आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Wangpo पुत्र Late श्री Phuntsok, निवासी Khara Danda Marg, Dharamshala तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Migmer Tsering की जन्म तिथि 25-10-1989 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जाएं।

इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Migmer Tsering की जन्म तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 19-7-2006 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 16-6-2006 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। एच0 आर0 भाटिया,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री हंस राज भाटिया, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री Tashi Gyaltsen बनाम आम जनता।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Tashi Gyaltsen पुत्र श्री Ngawang Myima, निवासी Mcleodganj, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Kunga Mingyur की जन्म तिथि 23-10-1993 है परन्तु एम0 सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिए जायें।

इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Kunga Mingyur का जन्म पंजीकरण किए जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 19-7-2006 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 6-6-2006 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हंस राज भाटिया,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री हंस राज भाटिया, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती Nyima Lhamo बनाम आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती Nyima Lhamo पत्नी श्री Kalden Gyatso, निवासी मैकलोडगंज (टी0सी0वी0), तह0 धर्मशाला, जि0 कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी बहन Ado w/o Pema की मृत्यु दिनांक 25-10-1995 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश जारी किये जायें।

इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Ado w/o Pema की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 19-7-2006 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 6-6-2006 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हंस राज भाटिया,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री हंस राज भाटिया, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

Tashi Gyaltsen बनाम आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Tashi Gyaltsen पुत्र श्री Ngawang Nyima, निवासी मैकलोडगंज, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Tenzin Phegyal की जन्म तिथि 23-6-1992 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें।

इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tenzin Phegyal का जन्म पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 19-7-2006 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 6-6-2006 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हंस राज भाटिया,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री हंस राज भाटिया, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

Mrs. Nyima Chamo बनाम आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Mrs. Nyima Chamo पत्नी श्री Kalden Gyatso निवासी Mcleodganj T.C.V., तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी साली Pema s/o Pasang की मृत्यु तिथि 7-2-1990 है परन्तु एम0 सी0 Dharamshala में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किए जाने के आदेश दिए जाएं।

इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Pema s/o Pasang की मृत्यु तिथि पंजीकरण किए जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 19-7-2006 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किए जाने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 6-6-2006 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हंस राज भाटिया,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

व अदालत जनाब एन0 आर0 ठाकुर, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 31/N/2006 तारीख दायरा 29-4-2006
तारीख पेशी 15-7-2006, किस्म मु0 जन्म तिथि पंजीकरण

उनवान मुकद्दमा

श्रीमती सरला देवी पत्नी श्री बजिन्दर सिंह, गांव भलन्दर, डा0 लाहडू, तहसील जैसिंहपुर प्रार्थिका।

बनाम

1. आम जनता, 2. सचिव ग्राम पंचायत लाहड़ प्रतिवादीगण।

विषय —प्रकाशन इश्तहार जन्म तिथि पंजीकरण और धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969

नोटिस बनाम ग्राम जनता।

श्रीमती सरला देवी, गांव भलन्दर, डाकघर लाहडू, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है कि उसके पुत्र अभिषेक राणा का जन्म दिनांक 1-8-2001 को गांव भलन्दर में हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत लाहड़ में उक्त अभिषेक राणा की जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः प्रार्थिया अपने पुत्र की जन्म तिथि को पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाने के आदेश प्राप्त करना चाहती है।

अतः इस नोटिस द्वारा ग्राम जनता/सचिव ग्राम पंचायत लाहड़ व सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को सरला देवी के पुत्र अभिषेक राणा, गांव भलन्दर, डाकघर लाहड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 1-8-2001 पंचायत रिकार्ड लाहड़ में दर्ज करवाने के आदेश देने बारे किसी किस्म का कोई उजर व एतराज हो तो वह पेशी दिनांक 15-7-2006 को सुबह 10 बजे अस्सालतन या वकालतन हाजिर न्यायालय होकर उजर व एतराज पेश कर सकता है। उक्त दिनांक को किसी किस्म का उजर व एतराज प्राप्त न होने पर जन्म तिथि पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे और बाद में किसी किस्म का उजर व एतराज नहीं सुना जायेगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 29-5-2006 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। एन0 आर ठाकुर,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश।

व अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 23/एन/2005 तारीख पेशी 15-7-2006

उनवान मुकद्दमा

1 राम बाद, 2 विजय कुमार, 3 राजिन्द्र कुमार पुत्र व 4 श्रीमती नाजा विधवा श्री केहर सिंह, निवासी मुहाल, मौजा व तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश प्रार्थीगण।

बनाम

1 भजन राम पुत्र, 2. ज्ञान चन्द पुत्र नाबकू, 3. दुधमी पुत्र, 4. रोशन पुत्र स्वाक, 5. रोशन लाल पुत्र, 6 श्रीमती मगी देवी पुत्री चरनू, 7, खजाना पुत्र जरन मूलक मार्फत नायज वारखान (क) श्रीमती राजनी देवी विधवा (ख) जगन नाथ पुत्र (ग) सरोज कुमारी पुत्री (घ) पिंकी पुत्री खजाना, 8. सुरेश कुमार पुत्र 9. राजिन्द्र कुमार पुत्र, 10. श्रीमती कमलेश कुमारी पुत्री, 11. श्रीमती रजनी देवी पुत्री, 12. श्रीमती कान्ता देवी विधवा राम चन्द, निवासी मुहाल व मौजा व तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश प्रतिवादीगण।

प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 208, खतौनी नं0 234, खसरा किल्ला 38, रकबा तादादी 0-79-56 हैक्टेयर मुहाल जयसिंहपुर।

उपरोक्त उनवान मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है परन्तु प्रतिवादीगणों को साधारण तौर पर तामील न हो रही है।

अतः उपरोक्त प्रतिवादीगणों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 15-7-2006 को प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में अस्सालतन या वकालतन हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें। गैर-हाजरी की सूरत में एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 8-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

व अदालत श्री प्रकाश चन्द आजाद, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 48/NT-I/06. तारीख पेशी : 17-8-2006

दीप राज बनाम सर्वसाधारण एवं ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री दीप राज पुत्र श्री बूटा राम, निवासी मुहाल ठण्डोल, मौजा घटपुरा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके लड़के रजत का जन्म दिनांक 15-3-2001 को हुआ है मगर ग्राम पंचायत ठण्डोल के अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 17-7-2006 को सुबह 10.00 बजे अस्सालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा रजत पुत्र दीप राज की जन्म तिथि 15-3-2001 के पंजीकरण आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 12-6-2006 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। प्रकाश चन्द आजाद,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

व अदालत श्री प्रकाश चन्द आजाद, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 52/NT-I/06 तारीख पेशी : 17-8-2006

श्री रजनीश बनाम सर्वसाधारण एवं ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969

श्री रजनीश पुत्र श्री देवी सिंह, निवासी मुहाल बेह, मौजा बुजाणा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस

कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके लड़के मुनीश कुमार का जन्म दिनांक 20-7-2001 को हुआ है मगर ग्राम पंचायत भुआणा के अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 17-7-2006 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा मुनीश कुमार पुत्र श्री रजनीश की जन्म तिथि 20-7-2001 के पंजीकरण आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 12-6-2006 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। प्रकाश चन्द आजाद,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री प्रकाश चन्द आजाद, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 51/NT-I/06. तारीख पेशी : 17-7-2006

श्री रजनीश बनाम सर्वसाधारण एवं ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रजनीश पुत्र श्री देवी सिंह, निवासी मुहाल घेड़, मौजा भुआणा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके लड़के कर्ण कुमार का जन्म दिनांक 17-7-2004 को हुआ है मगर ग्राम पंचायत भुआणा के अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 17-7-2006 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा कर्ण कुमार पुत्र श्री रजनीश की जन्म तिथि 17-7-2004 के पंजीकरण आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 12-6-2006 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। प्रकाश चन्द आजाद,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री राजेश भण्डारी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रक्कड़, उप-तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा

श्री हंस राज पुत्र श्री बरडू, निवासी मुहाल सेहरी, सब-तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

ग्राम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री हंस राज ने इस अदालत में एक दरख्वास्त लाथ-पत्र गुजार रखा है कि इसके बेटे अभिषेक कुमार का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाया गया है। अब दर्ज किया जावे इसके पुत्र की जन्म तिथि 16-5-2000 है तथा जन्म ग्राम पंचायत सेहरी में हुआ है।

अतः इस नोटिस द्वारा ग्राम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इसका नाम दर्ज करने बारे आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 13-7-2006 को समय 10.00 बजे प्रातः अदालत में हाजिर आकर पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 17-6-2006 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। राजेश भण्डारी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, रक्कड़,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मन्त राम ठाकुर कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री स्वर्ण कुमार पुत्र स्व0 श्री नीरू राम, निवासी भटेच्छ, डा0 ठाकु, तहसील शाहपुर वादी।

बनाम

ग्राम जनता प्रतिवादी।

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969

श्री स्वर्ण कुमार पुत्र स्व0 श्री नीरू राम, निवासी भटेच्छ ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थनापत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री नीतिका कुमारी का जन्म दिनांक 15-7-2001 को गांव भटेच्छ में हुआ था परन्तु वह अज्ञानतावश उसका नाम गांव पंचायत के रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सका था। अब दर्ज करने के आदेश दिए जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त बच्ची की जन्म तिथि 15-7-2001 बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज असालतन या वकालतन दिनांक 11-7-2006 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है अन्यथा उक्त नीतिका कुमारी पुत्री स्वर्ण कुमार की जन्म तिथि 15-7-2001 सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 5-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। मन्तराम ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री विनय सिंह (एच0 ए0 एस0), उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

Miss Chime Dolma d/o Late Sh Tsering Dorjee, निवासी गोम्पा रोड, मनाली, तहसील मनाली।

बनाम

ग्राम जनता

विषय—प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम ग्राम जनता।

Miss Chime Dolma d/o Late Sh Tsering Dorjee, निवासी गोम्पा रोड मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू,

हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 1-6-1988 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर पंचायत मनाली के रिकार्ड में दर्ज न की गई है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश दिये जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को Miss Chime Dolma की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 19-7-2006 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। विनय सिंह,
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, मनाली,
जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री विनय सिंह (एच0 ए0 एस0), उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

Sh. Lobsang Rinzing s/o Late Sh. Thinlay Paljor, निवासी गांव व डाकखाना पतलीकूहल, तहसील मनाली।

बनाम

ग्राम जनता

विषय.—प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम ग्राम जनता।

Sh. Lobsang Rinzing पुत्र स्व0 श्री Thinlay Paljor, निवासी पतलीकूहल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री Somkyi Dolma जो दिनांक 12-4-1992 को पैदा हुई है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत हलाणा-II के रिकार्ड में दर्ज न की गई है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश दिए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को Miss Samkyi Dolma की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 19-7-2006 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। विनय सिंह,
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, मनाली,
जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री विनय सिंह (एच0 ए0 एस0), उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

Sh. Lobsang Rinzing s/o Late Sh. Thinlay Paljor, निवासी गांव व डाकखाना पतलीकूहल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

ग्राम जनता

विषय.—प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम ग्राम जनता।

श्री Lobsang Rinzing s/o Late Shri Thinlay Paljor, निवासी पतलीकूहल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका पुत्र Tenzin Lekshay जो दिनांक 20-5-1999 को पैदा हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत हलाण-II के रिकार्ड में दर्ज न की गई है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश दिए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को Tenzing Lekshay की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 19-7-2006 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 20-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। विनय सिंह,
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, मनाली,
जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री विनय सिंह (एच0 ए0 एस0), उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

Miss Lhadon w/o Late Sh. Lobsang Tashi, r/o Manu Market, Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H. P.)

बनाम

ग्राम जनता

विषय.—प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम ग्राम जनता।

Miss Lhadon पत्नी Late Sh. Lobsang Tashi, निवासी मनु मार्किट मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री Tenzin Wangmo जो दिनांक 15-12-1989 को पैदा हुई है परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर पंचायत मनाली के रिकार्ड में दर्ज न की गई है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश दिए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को Miss Tenzin Wangmo की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 19-7-2006 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। विनय सिंह,
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, मनाली,
जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री जगदीश जग्गी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मि0 नं0	उनवान मुकद्दमा	तारीख पेशी
11/06	तकसीम भूमि	17-7-2006
हेत राम पुत्र नरैण	बनाम	विनोद कुमार पुत्र नरैण आदि, निवासी विगां।

नोटिस बनाम

विनोद कुमार पुत्र व शीला, रंगीला, प्रमिला, उर्मिला, निलमा पुत्रियां सिधू, मेहर सिंह, वालम राम, विधी चन्द पुत्र व मीरा पुत्री विधवा रोहला, मन्त राम पुत्र नरैण, निवासी विगां, उप-तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

दरख्वास्त तकसीम भूमि जेर दफा 123, हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत मुन्दर्जा खाता खतौनी नम्बर 1 मिन/3, ख0 नं0 729-1180-1365-1425, किता 4, रकबा 0-06-90 है0. वाक्या मुहाल विगां।

उपरोक्त फ्रीकैनदोयम को समन जारी किए गए थे परन्तु फ्रीकैनदोयम नौकरी व शादी-शुद्धा होने के कारण तामील नही हो रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है।

अत उपरोक्त फ्रीकैनदोयम को बजरिया इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 17-7-2006 को सुबह 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 5-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। जगदीश जग्गी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री जगदीश जग्गी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नम्बर	उनवान मुकद्दमा	तारीख पेशी
4/06	तकसीम भूमि	17-7-2006

हेत राम पुत्र नरैण बनाम शंगीपाल पुत्र परम राम आदि।

नोटिस बनाम :

साजू पुत्र बालकू, रोशन पुत्र शेरू, वीरी सिंह पुत्र व लीला, वीना, सोनू पुत्रियां डागू, गंगू-मोहन-निकू पुत्र व राणो पुत्री शेरू, फूलां विधवा शेरू, सुरेश कुमार, राजेश कुमार पुत्र व रुमा देवी विधवा खजाना, अमल कुमार पुत्र नरोत्तम, डाहली विधवा नरोत्तम, विनोद कुमार पुत्र व शीला, रंगीला, प्रमीला, उर्मिला, निलमा पुत्रियां सिधू, मेहर सिंह, वालम राम, विधि चन्द पुत्र व मीरा पुत्री रोहला, विपन कुमार पुत्र निका राम, पवन कुमार पुत्र हेत राम, जगत राम, बिहारी लाल, कशमीर सिंह पुत्र व मीरा, सावित्री पुत्रियां नरोत्तम, शेर सिंह, गोकल, सरण पुत्र व वजीरू पुत्र भादर व शिव राम, सुरेन्द्र पुत्र व मीरा, श्याम पुत्री व द्वारकू विधवा रूपिया, रूवालू, केशव पुत्र व कृष्णी पुत्री रेलू, निवासी विगां, उप-तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

दरख्वास्त तकसीम भूमि जेर दफा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत मुन्दर्जा खाता खतौनी नम्बर, 122/269 ता0 275, किता 12, रकबा 0-47-87 है0, वाक्या मुहाल विगा।

उपरोक्त फ्रीकैनदोयम को समन जारी किए गए थे परन्तु फ्रीकैनदोयम नौकरी व शादी-शुद्धा होने के कारण तामील नहीं हो रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है।

अतः उपरोक्त फ्रीकैनदोयम को बजरिया इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 17-7-2006 को सुबह 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 5-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। जगदीश जग्गी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री जगदीश जग्गी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नम्बर	उनवान मुकद्दमा	तारीख पेशी
8/06	तकसीम भूमि	17-7-2006

हेत राम पुत्र नरैण बनाम विनोद कुमार आदि।

नोटिस बनाम :

विनोद कुमार पुत्र व शीला देवी, रंगीला, प्रमीला, उर्मिला, निलमा पुत्रियां सिधू, मेहर सिंह, वालम राम, विधि चन्द पुत्र व मीरा पुत्री रोहला, निवासी विगां।

दरख्वास्त तकसीम भूमि जेर धारा 123, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत खतौनी नं0 112 मिन/252 नम्बर खसरा 1748, रकबा 0-01-30 है0 वाक्या मुहाल विगां।

उपरोक्त फ्रीकैनदोयम को कई बार समन जारी किए गए परन्तु फ्रीकैनदोयम नौकरी पेशा या शादी-शुद्धा होने के कारण तामील नहीं हो रही है इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है।

अतः उपरोक्त फ्रीकैनदोयम को बजरिया इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 17-7-2006 को सुबह 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 5-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। जगदीश जग्गी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

समक्ष नायब तहसीलदार, उप-तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी

श्री समरू राम पुत्र तवारसू, निवासी फिहड़ ... प्रार्थी।

दरख्वास्त बराए दरुस्ती नाम।

प्रार्थी श्री समरू राम पुत्र श्री तवारसू, निवासी फिहड़, उप-तहसील धर्मपुर ने एक प्रार्थना-पत्र इस अदालत में प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में "सुमेर सिंह" गलत दर्ज चला आ रहा है। जबकि उसका सही नाम "समरू राम" है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने स्कूल प्रमाण-पत्र की छाया प्रति, नकल परिवार रजिस्टर व अपना बयान हल्फिया संलग्न कर रखा है।

अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-7-2006 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई उजर/एतराज नहीं सुना जायेगा और प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 19-6-2006 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। जगदीश जग्गी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

समक्ष नायब तहसीलदार, उप-तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश व अधिकारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी

श्री शेर पाल पुत्र श्री बफू, निवासी सकलाना, उप-तहसील धर्मपुर ... प्रार्थी ।

दरख्वास्त बराए दुरुस्ती नाम ।

प्रार्थी श्री शेर पाल पुत्र श्री बफू, निवासी सकलाना, उप-तहसील धर्मपुर ने एक प्रार्थना-पत्र इस अदालत में प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में गलत ढंग से राज दर्ज चला आ रहा है। अर्थात उसका सही नाम शेर पाल है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपना ब्यान हल्फिया, अपने स्कूल के लिक्षा प्रमाण-पत्र की छाया प्रति व नकल परिवार रजिस्टर प्रस्तुत कर रखी है।

अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-7-2006 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा और प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 19-6-2006 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । जगदीश जग्गी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धर्मपुर, जिला मण्डी (हि० प्र)।

अदालत श्री जगदीश जग्गी, नायब तहसीलदार, उप-तहसील धर्मपुर व अधिकारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी

सविता कुमारी पुत्री पूर्ण चन्द, निवासी प्रीण ... प्रार्थिया ।

दरख्वास्त बराए दुरुस्ती नाम ।

प्रार्थिया सविता कुमारी पुत्री पूर्ण चन्द, निवासी प्रीण, उप-तहसील धर्मपुर ने एक प्रार्थना-पत्र इस अदालत में प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में गलत "जीनू" दर्ज चला आ रहा है। जिसकी पुष्टि हेतु उसने अपना ब्यान हल्फिया, नकल जमाबन्दी सलान कर रखी है।

अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-7-2006 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा और प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 26-6-2006 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । जगदीश जग्गी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धर्मपुर, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

अदालत श्री जगदीश जग्गी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नम्बर	उनवान मुकद्दमा	तारीख फैसला
3/06	तकसीम भूमि	17-7-2006

हेत राम पुत्र नरैण बनाम विनोद कुमार पुत्र नरैण आदि

नोटिस बनाम

विनोद कुमार पुत्र व मीला देवी, रंगीला देवी, प्रभोला देवी, उमिला देवी निलमा देवी पुत्रियां सिंघ मेहर सिंह, बालम राम, बिधी चन्द पुत्र व मीरा देवी पुत्री रोहला, मन्त राम पुत्र नरैण, निवासी वि०, उप-तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ।

दरख्वास्त तकसीम भूमि जेर दफा 123, हि० प्र० भू-राजस्व अधिनियम 1954 बाबत खतौनी नं० 93/207-208, किता 2, रकबा 0-26-61 है० वाक्या मुहाल विगा ।

उपरोक्त फीकैनदोयम को कई बार समन जारी किए गए परन्तु फीकैनदोयम नौकरी व जायदादी होने के कारण तामील नहीं हो रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है।

अतः उपरोक्त फीकैनदोयम को बजरिया इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 17-7-2006 को सुबह 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 5-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । जगदीश जग्गी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ।

अदालत श्री जगदीश जग्गी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नम्बर	उनवान मुकद्दमा	तारीख पेशी
7/06	तकसीम भूमि	17-7-2006

हेत राम पुत्र नरैण बनाम विनोद कुमार आदि

नोटिस बनाम :—

विनोद कुमार पुत्र व मीला देवी, रंगीला देवी, प्रमीला देवी, उमिला देवी, निलमा देवी पुत्रियां सिंघ, मेहर सिंह, बालम राम, बिधी चन्द पुत्र व मीरा देवी पुत्री रोहला, मन्त राम पुत्र नरैण, निवासी विगा, उप-तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ।

दरख्वास्त तकसीम भूमि जेर दफा, 123, हि० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत खतौनी नं० 96/214-15, नम्बर खसरा 416, 491, 549, 569, 699, 743, किता 6, रकबा तादादी 0-14-11 है० व ख० नं० 358, रकबा 0-02-44 है० वाक्या मुहाल विगा।

उपरोक्त फीकैनदोयम को कई बार समन जारी किए गए परन्तु फीकैनदोयम नौकरी पेशा या जायदादी होने के कारण तामील नहीं हो रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है।

अतः उपरोक्त फीकैनदोयम को बजरिया इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 17-7-2006 को सुबह 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 5-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर । जगदीश जग्गी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री जगदीश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

जिमनल नम्बर	उनवान मुकद्दमा	तारीख पेशी
5/06	तकसीम भौम	17-7-2006

हेम राम पुत्र नरैण बनाम जर्मी पाल पुत्र पस्सा राम आदि

नोटिस बनाम :

1. सुभाष कुमार पुत्र ब लीला देवी, रमीला, प्रमीला, उर्मिला, निवासी, पुतियां सिंघ, मेहर सिंह, बालम राम, विधी चन्द पुत्र ब लीला देवी पुत्री राधा, पवन कुमार पुत्र हेम राम ब लीला देवी हरमा, सिंह, बीरी सिंह पुत्र ब लीला, बीना, सोनू पुतियां ब हाल, मंग मोहन, सिंघ पुत्र ब राणी पुत्री ब फूला विधवा लेट, जमन राम, अमर कुमार, कश्मीर सिंह पुत्र नरोतम, निवासी बिया, उप-तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

वास्ते तकसीम भूमि जेर दफा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम 1954 बाबत जमीनी ता0 108/237, ता0 240, किता 5, रकबा 0-13-41 है0 वाकया मुहाल बिया।

उपरोक्त फीकैनदोयम को कई बार समन जारी किए गए परन्तु फीकैनदोयम नौकरी पेशा या शादी-शुदा होने के कारण तामील नहीं हो रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि इसकी तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है।

अतः उपरोक्त फीकैनदोयम को बजरिया इश्तहार राजपत्र, हि0 प्र0 द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 17-7-2006 को सुबह 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 5-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत में जारी हुआ।

मोहर। जगदीश शर्मा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री किशोरी लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

प्रवीण कुमार पुत्र स्व0 श्री अमर सिंह, निवासी नेरी कोटला, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती लीला देवी की मृत्यु दिनांक 12-8-2005 को तथा पिता श्री अमर सिंह पुत्र अच्छर की मृत्यु दिनांक 9-1-2006 को हुई थी परन्तु अज्ञानतावश वह उनकी मृत्यु तिथियां पंचायत रिकार्ड में दर्ज न करवा सके।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 19-7-2006 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर हो सकता है अन्यथा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 6-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। किशोरी लाल,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री किशोरी लाल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा

श्रीमती दुर्गणा देवी विधवा श्री साईं दास, निवासी खुड्डर, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) प्रार्थिन।

बनाम

ग्राम जनता

पार्थना पत्र इराय तस्दीक इन्तकाल मौजा खुड्डर।

नोटिस बनाम ग्राम जनता।

श्रीमती दुर्गणा देवी विधवा श्री साईं दास, निवासी खुड्डर, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी सगी बहिन श्रीमती पूर्णा रमण, निवासी खुड्डर, तहसील जोगिन्दरनगर लगभग 50 वर्ष से लापता है। उसका कहीं भी कोई अता-पता नहीं है। उसके नाम मुहाल हजा में भूमि दर्ज माल कागजात है। उस भूमि का इन्तकाल मेरे नाम किया जावे।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि किसी को उक्त भूमि के इन्तकाल श्रीमती दुर्गणा देवी के नाम तस्दीक करने में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 19-7-2006 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर पैरवी कर सकते हैं अन्यथा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 13-6-2006 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत में जारी किया गया।

मोहर। किशोरी लाल,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री किशोरी लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्रीमती सरोज पत्नी श्री सरवर चन्द, निवासी टिक्कर, तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिन श्रीमती सरोज पत्नी सरवर चन्द, निवासी टिक्कर, तहसील जोगिन्दरनगर ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र तरुण चौपड़ा का जन्म दिनांक 3-12-2001 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि नगर पंचायत के रिकार्ड में दर्ज न करा सकी।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 17-7-2006 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर हो सकता है अन्यथा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 15-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। किशोरी लाल,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री किशोरी लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

Sonam Trensto d/o Tresing Lhundup r/o H No. 117 Dege. Division Chaunira, Teh. Jogindernagar, District Mandi.

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र अ धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी Sonam Trentso d/o Tresing Lhundup ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिन Sonam Trensto का जन्म दिनांक 24-8-1985 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि नगर पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सकी।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 17-7-2006 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर हो सकता है अन्यथा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 14-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर। किशोरी लाल,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री किशोरी लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर जिला मण्डी (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्रीमती सोनम डोलमा पत्नी श्री तेसरिंग थुन्दुप, निवासी चौन्तड़ा, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र अ धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिन श्रीमती सोनम डोलमा पत्नी श्री तेसरिंग थुन्दुप, ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी लड़की का जन्म दिनांक 15-8-1994 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि नगर पंचायत के रिकार्ड में दर्ज न करा सकी।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 18-7-2006 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर हो सकता है अन्यथा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 16-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर। किशोरी लाल,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री किशोरी लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री प्यार चन्द पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी डाहल, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ...प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र अ धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री प्यार चन्द पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी डाहल, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र मणीष कुमार का जन्म दिनांक 14-8-2000 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि नगर पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 17-7-2006 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर हो सकता है अन्यथा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 15-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। किशोरी लाल,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री किशोरी लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री फकीर चन्द पुत्र श्री जय राम, निवासी अड्याड़ा, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

प्रधान ग्राम पंचायत अड्याड़ा (कलच्छी) व आम जनता।

प्रार्थना-पत्र अ धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री फकीर चन्द पुत्र श्री जय राम ने इस अदालत में एक प्रार्थना पत्र गुजारा है कि उसका लड़का जन्म दिनांक 25-12-1951 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि नगर पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 18-7-2006 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर हो सकता है अन्यथा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 21-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत में जारी हुआ।

मोहर। किशोरी लाल,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री किशोरी लाल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

सर्वश्री अड पुत्र अमानदू, निवासी निर्मानमा, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ...आवेदक।

बनाम

श्रीमती किल्जो देवी पुत्री चमारू, निवासी निर्मानमा।

विषय: सर्वश्री इन्तकाल नं0 878, दिनांक 1-2-06, मकदमा-खसा-खतौनी, मौजा निर्मानमा, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त विषयक्त सर्वश्री अड पुत्र अमानदू, निवासी निर्मानमा, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कथनानुसार श्रीमती, कि श्री देवी पुत्री चमारू, निवासी निर्मानमा जो कि जिस से उनका नाता लगता है जो काफी अरसा (20-25) वर्षों से लापता है। इस दौरान उनकी सीमित ज्ञान की कोई भी सूचना प्राप्त न हुई है और न ही वह घर वापिस आया है। जिसका इन्तकाल नं0 878 मकदमा-खसा खतौनी मौजा निर्मानमा में दर्ज पड़ें हैं समाप्त है।

अतः इस नोटिस द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति का इन्तकाल उपरोक्त का सम्बन्ध कहीं कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-7-06 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अदालत या वकालतन पेश कर सकता है। अन्यथा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर इन्तकाल बहक बायज सारमान तस्दीक कर दिया जाएगा तथा बाद में कोई भी उजर/एतराज काबिल समायत न होगा।

आज दिनांक 13-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मेरे अदालत से जारी किया गया।

मोहर। किशोरी लाल,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री किशोरी लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी म0 नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा:—

श्री भूमी चन्द पुत्र श्री काहन पुत्र मुरली, निवासी भरेड़, तह0 म0 नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

ग्राम जनता

विषय:—दरख्वास्त बाबत दुरुस्ती नाम कागजात।

प्रार्थी ने प्रार्थना की है। उसका नाम भूमी चन्द है। परन्तु कागजात मालं में भालू लिखा गया है। जिसे अब वह दुरुस्त करवाकर भूमी चन्द करवाना चाहता है। जिसकी एवज में प्रार्थी ने शपथ पत्र व सकल समाजकी सायका हाल बतौर प्रमाण शामिल कर रखी है। उक्त के अनुसार दुरुस्ती की प्रार्थना की है।

अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से ग्राम जनता व एक सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 19-7-2006 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत में अदालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। इसके पश्चात कोई भी उजर व एतराज काबिल समायत न होगा।

आज दिनांक 19-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। किशोरी लाल,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
म0 नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री किशोरी लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, म0 नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

Kunchok Chocdon w/o Sh. Tulkrim Rangdole, r/o Chauntra, Nangchu Div Chauntra, Tehsil Joginder Nagar Distt. Mandi (H.P.)

Vs.

General Public

प्रार्थना-पत्र धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु (संशोधन अधिनियम, 1969

Kunchok Chocdon w/o Sh. Tulkrim Rangdole, r/o Chauntra, तहसील म0 नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक प्रार्थना पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र व पुत्री का जन्म दिनांक 1. Tsundu Sangpo जन्म दिनांक 2-11-1984 2. Tashi Samdup date of birth 15-4-1982, 3. Tashi Chocdon date of birth 2-3-1980 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश वह उनकी जन्म तिथियां ग्राम पंचायत चौन्तड़ा में दर्ज न करा सके हैं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 18-7-2006 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में अदालतन या वकालतन हाजिर हो सकता है। हाजिर न आने की सूरत में कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 15-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर। किशोरी लाल,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
म0 नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री किशोरी लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, म0 नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा

Smt. Karma Chocdon w/o Sidor, r/o H. No. 4, Tibitan Settlement Nangchan Division Chauntra, Teh. Joginder Nagar ... *Applicant*

Vs

General Public

प्रार्थना पत्र धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Smt. Karma Chocdon w/o Sh. Sidor ने इस अदालत में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पति व लड़कियां

1. Yashi Gyautro date of birth 10-5-1980 (son), 2. Dolma Lhamo date of birth 1-4-1979 (daughter), 3 Trultrim Dolma date of birth 10-12 1981 (daughter), 4 Kunsang Lhamo date of birth 14-7-1984 (daughter), 5. Dechen Polwo date of birth 15-9-1985 (daughter), 6 Jinba Wangmo date of birth 1-11-1991 (daughter), को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उनकी जन्म तिथियां ग्राम पंचायत चौन्तड़ा में दर्ज न करा सके।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 17-7-2006 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर हो सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 9-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

किशोरी लाल,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जो0 नगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री किशोरी लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा

Yondou w/o Late Sh. Tempa Lob Song r/o H. No. 45, Nangchen, Division Chauntra, Tehsil Jogindernagar, District Mandi, Himachal Pradesh .. *Applicant.*

Verses

General Public

प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969

उपरोक्त प्रार्थी ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके लड़के व लड़कियां जन्म दिनांक:—

1. Sonam Choedon born on 9-11-1973 daughter
2. Urgyen Tashi born on 20-5-1980 Son
3. Yeshli Choedon born on 29-4-1984 Daughter
4. Tenzin Norzin born on 18-2-1989 Daughter

को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उनकी जन्म तिथियां सैक्रेटरी ग्राम पंचायत चौन्तड़ा में दर्ज न करा सके।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 19-7-2006 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर हो सकता है। अन्यथा कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 9-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

किशोरी लाल,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री किशोरी लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

Tsering Wangdu Ghashey, r/o H. No. 56, Division Chauntra, Tehsil Jogindernagar, District Mandi, Himachal Pradesh.

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969

अतः प्रार्थी ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके लड़के Kunga Tashi का जन्म दिनांक 5-5-1987 को हुआ था, परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज न करा सका।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 17-7-2006 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर हो सकता है। अन्यथा कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 9-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

किशोरी लाल,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री किशोरी लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश,

ब मुकद्दमा

Zoma w/o Shri Kyip Sang, r/o H. No. 47 Nangchen, Division Chauntra, Tehsil Jogindernagar, District Mandi Himachal Pradesh.

Verses

General Public

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थीन Smt. Zoma w/o Kyipsang ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि प्रार्थीन के लड़के व लड़की का जन्म दिनांक 1. Sundup Wangyal born on 6-5-1976 Son, 2 Rinchan Pema born on 15-5-1980 Daughter, 3 Kunsang Topden born on 21-10-1981 Son को हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश वह उनकी जन्म तिथियां ग्राम पंचायत चौन्तड़ा में दर्ज न करा सके।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है। कि यदि इस बारे किसी को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 17-7-2006 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर हो सकता है हाजिर न आने की सूरत में कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 14-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

किशोरी लाल,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री किशोरी लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

Tsering Lhomo w/o late Gaylltsen r/o H. N 25 Nagchan Div. Chauntra, Teh. J/Nagar Distt. Mandi H. P. .. *Applicant.*

Vs.

General Public

प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधि नियम, 1969.

Sorting Lhomo w/o late Sh. Gayltsen r/o H. N. 25, Chauntra, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, ने इस कार्यालय में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि उसके लड़के व लड़कियों का नाम 1 Wangchul born on 12-1-1981, son. 1. Trising Palgom born on 15-12-1984 daughter, 3. Tashi Chozen born on 5-7-1992 daughter, का हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उनकी जन्म तिथियां ग्राम पंचायत लोहारा में दर्ज न करा सका।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 17-7-2006 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित या वकालतन हाजिर हो सकता है। अन्यथा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 14-6-2006 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर। किशोरी लाल,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नीरंक।

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री भगवान दास, निवासी बरोट, डाकघर खुडला, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी (हि० प्र०) ..फरीक अव्वल।

बनाम

आम जनता हिमाचल प्रदेश .. फरीकदोयम।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री भगवान दास, निवासी बरोट, डाकघर खुडला, तहसील सरकाघाट ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13 (3) पेश किया है कि प्रार्थी ने पंचायत रिकार्ड में अपना नाम दर्ज नहीं करवाया है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त व्यक्ति का नाम पंचायत रिकार्ड में दर्ज होने बारे किसी को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 17-7-2006 को प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा उक्त नाम दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-5-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत में जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सरकाघाट, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नीरंक

श्री रमेश चन्द पुत्र श्री नन्द लाल, निवासी बाहरू, डाकघर सधोट, इलाका अन्तपुर, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी (हि० प्र०) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. फरीक दोयम

श्री रमेश चन्द पुत्र श्री नन्द लाल, निवासी बाहक, डाकघर सधोट, इलाका अन्तपुर ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके पिता का नाम बालक व बलदेव सिंह है लेकिन राजस्व अभिलेख महाल करयाण में गलती से दर्ज है।

अतः आम जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त वर्णित नाम की दरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह अपनी अदालत या वकालतन दिनांक 17-7-2006 को प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में पेश करें। उपस्थित न होने की सूरत में कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 20-5-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत में जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सरकाघाट, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नीरंक।

श्री बालक राम पुत्र श्री बलणी राम उम्र वर्ष, निवासी गैण, डाकघर गुरजपुर बाड़ी, इलाका सराला, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी (हि० प्र०) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता हिमाचल प्रदेश .. प्रत्यार्थी

प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती नामा महाल गैण/285

श्री बालक राम पुत्र श्री बलणी राम उम्र वर्ष, निवासी गैण ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम बालक राम है। परन्तु राजस्व रिकार्ड महाल गैण में उसका नाम पर्वी कुमार गलती से दर्ज हुआ है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह अमाजतन या वकालतन दिनांक 17-7-2006 को प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में पेश करें। उपस्थित न होने की सूरत में कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई जायगी।

आज दिनांक 23-5-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत में जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सरकाघाट, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नीरंक

श्री अजय वर्मा पुत्र श्री सुरजन सिंह वर्मा निवासी ग्रोढ़ गनेहड़ा, डाकघर ग्रोढ़, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता हिमाचल प्रदेश .. प्रत्यार्थी।

प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम महाल ग्रोढ़ गनेहड़ा/177

श्री अजय वर्मा पुत्र सुरजन सिंह वर्मा, निवासी ग्रोढ़ गनेहड़ा ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका सही नाम अजय वर्मा है। परन्तु राजस्व रिकार्ड महाल ग्रोढ़ गनेहड़ा में गलती से अनिल दर्ज हुआ है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 17-7-2006 को प्रातः 10 बजे इस न्यायालय मे पेश करें। उपस्थित न होने की सूरत मे कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 1-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता,
प्रथम श्रेणी सरकाघाट,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मुकदमा शीर्षक

श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र अर्जन राम, निवासी सकोहटा, डाकघर टिहरा, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ..प्रार्थी।

बनाम

आम जनता हिमाचल प्रदेश .. प्रत्यार्थी।

प्रार्थना-पत्र दरुस्ती नाम महाल सकोहटा/184

श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री अर्जन राम, निवासी सकोहटा, डाकघर टिहरा ने इस न्यायालय मे प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका सही नाम राजेन्द्र सिंह है परन्तु राजस्व रिकार्ड में उसका नाम गलती से रोहला राम दर्ज हुआ है।

अतः आम जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 17-7-2006 को प्रातः 10 बजे इस न्यायालय में पेश करें उपस्थित न होने की सूरत में कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22-5-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब न्यायालय श्री एम0 के0 कौण्डल, तहसीलदार एवं उप-पंजीकाध्यक्ष सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मुकदमा शीर्षक :

श्री मूल राज, विवेक कुमार पुत्र राम नाथ, निवासी बान्दल ब्राह्मण, हालका अन्तपुर, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश .. प्रार्थी।

बनाम

सर्वश्रीमती सपना सुषमा पुत्रियां श्री राम नाथ श्रीमती पुष्पा देवी विधवा व चिन्नी देवी माता राम नाथ, निवासी बान्दल, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश .. फीक दोयम।

आम जनता

विषय प्रार्थना-पत्र मनक श्री राम नाथ की वसीयत नामा को पंजीकृत करने बारे।

प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया है कि मृतक स्व0 राम नाथ पुत्र नानक चन्द ने अपने लड़के मूल राज, विवेक कुमार के नाम वसीयत तहरीर करवाई है। जो कि भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 40 व 41 के अन्तर्गत वसीयत को पंजीकृत करने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया है। राम नाथ पुत्र नानक चन्द, निवासी बान्दल ब्राह्मण की मृत्यु दिनांक 7-3-2005 को हो चुकी है।

अतः फीकदोयम व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त वसीयत बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-7-2006 को प्रातः दस बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें। अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22-5-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। एस0 के0 कौण्डल,
उप-पंजीकाध्यक्ष,
सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री एस0 एल0 बंसल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नायब तहसीलदार, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री उत्तम चन्द पुत्र तोता राम, निवासी गांव कथियारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी श्री उत्तम चन्द पुत्र तोत राम, निवासी कथियारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में अपना प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसकी पुत्री अंकिता ठाकुर का जन्म 21-3-2001 को गांव कथियारी, उप-तहसील औट में हुआ था परन्तु उसकी जन्म तिथि पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नही करवा सका है। तथा दर्ज करने की प्रार्थना की है।

अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को अंकिता ठाकुर पुत्री उत्तम चन्द की जन्म तिथि 21-2-2001 को पंचायत के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-7-2006 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा सम्बन्धित पंचायत को उक्त जन्म तिथि नियमानुसार दर्ज करवाने के आदेश कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 14-6-2006 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। एस0 एल0 बंसल,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, कार्यकारी दण्डाधिकारी/नायब तहसीलदार औट, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

श्रीमती हिक पत्नि श्री मोती राम, निवासी बाहन्दी, उप-तहसील औट, जिला मन्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

ग्राम पंचायत बाहन्दी के रिकार्ड मे नाम कटवाने बारे।

श्रीमती हिक पत्नि श्री मोती राम, निवासी बैहग घाटी रोट काठी भलाण, उप-तहसील मेंज, जिला मण्डी हि0 प्र0 ने इस अदालत मे प्रार्थना-पत्र गुजार रखा है कि उसके पति मोती राम का नाम ग्राम पंचायत बाहन्दी से नही कटवाया गया है। जबकि मोती राम 22-1-2005 को स्वर्गवास हो चुका है। उक्त नाम

को कटवाने के लिये प्रार्थना की है तथा इस द्वारा अपना हल्फनामा ब्यान प्रस्तुत किया गया है ।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस द्वारा किसी भी व्यक्ति को उजर व एतराज हो तो वे दिनांक 17-7-2006 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अमालतन या वकालतन हाजर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा उसके पति श्री मोती राम का नाम ग्राम पंचायत में कटवाने हेतु सचिव ग्राम पंचायत बाहनी को आदेश दे दिया जावेगा ।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 14-6-2006 को जारी हुआ ।

मोहर । एस0 एल0 बन्सल,
कार्यकारी दण्डाधिकारी/ना0 तहसीलदार,
औट, उप-तहसील औट, जिला मण्डी,
(हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, कार्यकारी दण्डाधिकारी/नायब तहसीलदार उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

राजस्व रिकार्ड में नाम दरूस्त करने बारे ।

श्री चमन लाल पुत्र श्री केवलू राम, निवासी सोझा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

ग्राम जनता

श्री चमन लाल पुत्र श्री केवलू राम, निवासी सोझा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र ब्यान हल्फी के साथ प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड में गलती से चिड़ दर्ज है जो गलत है । सही नाम चमन लाल दर्ज करने को पटवारी हल्का को आदेश जारी किये जावें ।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सही नाम चमन लाल पुत्र श्री केवलू राम दर्ज करने पर यदि किसी को भी किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 17-7-06 को या इससे पूर्व अमालतन व वकालतन हाजर होकर इस अदालत में प्रस्तुत करें अन्यथा सही नाम दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जायेंगे ।

आज दिनांक 14-6-06 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है ।

मोहर । एस0 एल0 बन्सल,
कार्यकारी दण्डाधिकारी/नायब तहसीलदार,
औट जिला मण्डी, (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, कार्यकारी दण्डाधिकारी/नायब तहसीदार, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

नाम दरूस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र

श्री उधे सिंह पुत्र श्री दिलू राम, निवासी थाटा, डाकखाना देवरी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

ग्राम जनता

श्री उधे सिंह पुत्र श्री दिलू राम, निवासी थाटा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र ब्यान हल्फी सहित प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड देवरी में गलती से नोखू राम दर्ज हुआ है । जो कि गलत है । सही नाम उधे राम दर्ज करने के आदेश जारी किये जावें ।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सही नाम उधे राम पुत्र श्री दिलू राम दर्ज करने पर किसी को किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 17-7-06 को या इससे पूर्व अमालतन व वकालतन हाजर हो कर इस अदालत में प्रस्तुत करें अन्यथा सही नाम दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे ।

आज दिनांक 14-6-06 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है ।

मोहर । एस0 एल0 बन्सल,
कार्यकारी दाधिकारी/नायब तहसीलदार,
औट, जिला मण्डी, (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री मान सिंह, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा संख्या : 30-IX/03 तारीख पेशी : 17-7-2006

श्री उमा दत्त पुत्र श्री देवी सिंह पुत्र श्री वरदेव, निवासी मौजा नगर तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी ।

सर्वश्री/श्रीमती जगत राम पुत्र, नीगा पुत्री व उमावती विधवा ठाकुर दत, तुला राम, चेत राम पुत्र अच्छरु विधवा तारा चन्द, मनसा राम पुत्र देवी चन्द, बुली चन्द, निका राम, अमरु राम व नीम राम पुत्र रूपू, कांशी राम व खूब चन्द पुत्र पीरु, ओम प्रकाश, कुमारी वीना, राधा पुत्री व विद्या देवी विधवा बुली चन्द, कृष्ण लाल, दिवान चन्द, मेहर चन्द व धर्म चन्द पुत्र पारवती विधवा तेज राम, हिम चन्द पुत्र नीलकण्ठ, हुक्म चन्द पुत्र भीमी राम, रेवा दास व छागू राम, भगत राम, जीत राम, लीला दत व नीम चन्द पुत्र व कौशल्या पुत्री व संवारु विधवा मौजी राम मस्त राम, गुलाब सिंह पुत्र अमर दत, निका राम व धर्म दत, उमा दत, तिलक राम पुत्र सनेहरु व गोदावरी व सावित्री व हीरो व निर्मला, श्रीमती सरस्वती पुत्री व दिवली विधवा धनी राम, पदम देव पुत्र सीस राम, गुरु राम पुत्र लीला, पुष्पा व दमोदा पुत्री व द्रोपती विधवा नोख राम सर्व निवासीगण नगर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश प्रतिवादीगण ।

दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हिमाचल प्रदेश भू0 राजस्व अधिनियम ।

हरगाह मुकद्दमा उपरोक्त में उपरवर्णित प्रतिवादियों में से अच्छरु विधवा तारा चन्द, बुली चन्द, निका राम पुत्रगण रूपू पुत्र ख्याली राम, पारवती विधवा तेज राम, हुकम राम पुत्र भीमी पुत्र देवी दत, रेवा दास व छागू राम, जीत राम, लीला दत पुत्रगण व कौशल्या पुत्री सनेहरु पुत्री व दिवली विधवा धनी राम, गुरु राम नीख राम सर्व निवासीगण नगर, परगना छोटाबल, तहसील सुन्नी के नाम इस अदालत से अनेकों बार समनात जारी किये गये लेकिन समनात हर बार मय रिपोर्ट तामील कुनिन्दा अदम तामील व अधूरा पता होने के कारण वापिस प्राप्त हुए । जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इन प्रतिवादियों की तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव नहीं ।

अतः विधि अनुसार यह उद्घोषणा जारी की जाकर उपरोक्त प्रतिवादियों को बराये जवाबदेही मकद्दमा दिनांक 17-7-2006 को अदालत व वकालतन इस अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया जाता है यह भी स्पष्ट किया जाता है कि हाजिर न आने पर मुकद्दमा की कार्यवाही एक तरफा सुनी जावेगी ।

आज दिनांक 25-4-2006 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया ।

मोहर । मान सिंह,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुन्नी,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्री मान सिंह, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा संख्या : 29-IX/03 तारीख पेशी : 17-7-2006

श्री उमा दत पुत्र श्री देवी सिंह पुत्र श्री वरदेव, निवासी मौजा शावली, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी ।

सर्वश्री/श्रीमती हुकम राम पुत्र भीमी, तिका राम, धर्म दत, उमा दत, तिलक राम पुत्र सनेहरु, गोदावरी, सावित्री, हिरो, निर्मला,

सरस्वती पुत्रियां दिवली विधवा जगत राम पुत्र व निशा पुत्री उमावती विधवा ठाकुर दत, तुला राम, जेत राम पुत्र अच्छरु विधवा तारा चन्द, रेवा दास, छागू राम, भगत राम, जीत राम लीला दत व नीम चन्द पुत्र कौशल्या पुत्री व संदीप निवासी मौली राम, गुरु राम पुत्र पुष्पा देवी, दसोदा देवी पुत्रियां व द्रोपती विधवा नोख राम पुत्र देवी सिंह, मनसा राम पुत्र देवी सिंह, पूर्ण दत पुत्र नरदेव, दिला राम पुत्र घेतलू पुत्र देवी सरन सर्व निवासीगण शावली, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। प्रतिवादीगण।

दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हिमाचल प्रदेश भू0 राजस्व अधिनियम।

हरगाह मुकद्दमा उपरोक्त में ऊपरवर्णित प्रतिवादियों मे से श्री हुकमी राम पुत्र भीमी पुत्र देवी दत, निका राम, उमा दत व तिलक राम पुत्रगण व सनेहरु, गोदावरी, सावित्री, हीरी व निर्मला पुत्रियां व दिवली विधवा धनी राम, जगत राम पुत्र व निशा पुत्री व उमावती विधवा ठाकुर दत पुत्र तारा चन्द, तुला राम पुत्र व अच्छरु विधवा तारा चन्द, रेवा दास व छागू राम, जीत राम, लीला, पुष्पा देवी व दसोदा देवी पुत्रियां व द्रोपती विधवा नोख राम पुत्र देवी चन्द, धर्म दत पुत्र पूर्ण चन्द पुत्र नरदेव पुत्र बेली राम सर्व निवासीगण शावली परगना छोटाबल, तहसील सुन्नी के नाम इस अदालत से अनेको बार समनात जारी किये गये लेकिन समनात हर बार मय रिपोर्ट तामील कुन्निंदा अदम तामील व अधूरा पता होने के कारण वापिस प्राप्त हुए। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इन प्रतिवादियो की तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव नहीं।

अतः विधि अनुसार यह उद्घोषणा जारी की जाकर उपरोक्त प्रतिवादियों को बराये जवाब देही मुकद्दमा दिनांक 17-7-2006 को अदालत व बकालतन इस अदाल में हाजिर होने का निर्देश दिया जाता है यह भी स्पष्ट किया जाता है कि हाजिर न आने पर मुकद्दमा की कार्यवाही एक तरफा सुनी जावेगी।

आज दिनांक 25-4-2006 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। मान सिंह,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री के0 एम0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नम्बर : 22/06.

उनवान मुकद्दमा :

सुभाष चन्द पुत्र बालक राम बनाम ग्राम जनता

इश्तहार जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

इस अदालत में श्री सुभाष चन्द प्रार्थी ने एक नालिस प्रस्तुत की है कि उसके पुत्र बादल की जन्म तिथि 12-1-2003 व पुत्री मुस्कान की जन्म तिथि 8-10-2001 जो कि नगर परिषद नाहन के कार्यालय में दर्ज नहीं है। इस बारे ग्राम पंचायत एवं विलेज अधिकारी/कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नाहन से रिपोर्ट प्राप्त की गई कि उपरोक्त जन्म तिथि उनके कार्यालय में दर्ज नहीं है।

अतः बजरिया इस इश्तहार के समस्त आम जनता नगर परिषद नाहन/प्रार्थी के रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि उक्त तिथियां पुत्र बादल व पुत्री मुस्कान के दर्ज होने बारे कोई उजर या एतराज हो तो अमालतन या वकालतन अपना उजर व एतराज दिनांक 17-7-2006 प्रातः 10.00 बजे प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद तारीख कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रकरण में अन्तिम आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 6-6-2006 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। के0 एम0 लाल्टा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्रीमती सुषमा वत्स, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री सुख राम पुत्र श्री प्रीतम सिंह, निवासी ग्राम मोहर, डा0 नारग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

ग्राम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सुख राम पुत्र श्री प्रीतम सिंह, निवासी ग्राम मोहर, डा0 नारग, तहसील पच्छाद (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके निम्नलिखित परिवार का इन्द्राज एवं जन्म तिथियां ग्राम पंचायत नारग, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं है:—

क्र0 सं0	नाम व पता	जन्म तिथि
1.	मोहित कुमार पुत्र श्री सुख राम	6-3-2002
2.	दिपाली पुत्री श्री सुख राम	24-10-2000

अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथियां पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-7-2006 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को उक्त नाम व जन्म तिथियां दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 8-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। सुषमा वत्स,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्रीमती सुषमा वत्स, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री पप्पी राम पुत्र श्री सीता राम, निवासी ग्राम मोहर, डाकघर नारग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

ग्राम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री पप्पी राम पुत्र श्री सीता राम, निवासी ग्राम मोहर, डाकघर नारग, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र हेमन्त कुमार का जन्म मिति 10-5-2003 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत नारग, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-7-2006 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 8-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । सुषमा वत्स,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्रीमती सुषमा वत्स, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री गरीब दास, निवासी ग्राम आजी, डाकघर नारग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री गरीब दास, निवासी ग्राम आजी, डाकघर नारग, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री संगीता पुत्री श्री बलबीर सिंह का जन्म दिनांक 16-2-2001 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत नारग, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है ।

अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-7-2006 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे ।

आज दिनांक 8-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । सुषमा वत्स,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्रीमती सुषमा वत्स, तहसीलदार एव कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री अम्बा दत्त पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी ग्राम अजगा, डाकघर नारग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

ग्राम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री अम्बा दत्त पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी ग्राम अजगा, डाकघर नारग, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पौत्र सौरभ शर्मा पुत्र श्री जय दत्त का जन्म मिति 8-1-2003 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत नारग, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है ।

अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-7-2006 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे ।

आज दिनांक 14-2-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर । सुषमा वत्स,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत श्रीमती अमिता महाजन, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

श्री मोहन लाल पुत्र श्री काशी राम, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि० प्र०) ।

बनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री मोहन लाल पुत्र श्री काशी राम, निवासी ग्राम अमरगढ़, तहसील पांवटा साहिब ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी लड़की कविता देवी का जन्म दिनांक 13-3-2001 को हुआ था परन्तु अनवधान वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत पुरबाला-कांशीपुर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है ।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-7-2006 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित पांवटा में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है । निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री मोहन लाल पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

आज दिनांक 16-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर । अमिता महाजन,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि० प्र०) ।

श्रीमति अमिता महाजन, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश

श्रीमति शिमला देवी पत्नी श्री गीता राम, ग्राम बेहड़ेवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमति शिमला देवी पत्नी श्री गीता राम, ग्राम बेहड़ेवाला ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका स्वयं का जन्म दिनांक 19-12-1954 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह अपना जन्म ग्राम पंचायत सैनवाला मुबारकपुर नगरपालिका परिषद् के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सकी है ।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-7-2006 को प्रातः 10 बजे अदालत हजा स्थित पांवटा में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करवा सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्रीमति शिमला देवी पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

आज दिनांक 17-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर । अमिता महाजन,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि० प्र०) ।

ब अदालत श्रीमती अमिता महाजन, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री रिजवान पुत्र अब्दुल शकूर, निवासी माजरा, तहसील पांवटा, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री अब्दुल रिजवान पुत्र अब्दुल शकूर, निवासी माजरा, पांवटा ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके/लड़की नाम दिलशाद मल्तशा का जन्म दिनांक 10-12-2001, 25-7-1996 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश वह उसका जन्म ग्राम पंचायत माजरा के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 15-7-2006 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा स्थित पांवटा में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री रिजवान पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 16-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। अमिता महाजन,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री सी0 पी0 वर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्रीमती सरबजीत कौर पत्नी श्री अवतार सिंह, निवासी निहालगढ़, पांवटा।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती नाम।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में श्रीमती सरबजीत कौर पत्नी श्री अवतार सिंह, निवासी निहालगढ़ मय ब्यान हल्फिया ब्यान/प्रार्थना-पत्र दिया है कि ग्राम पंचायत निहालगढ़ के रिकार्ड में उसका नाम सरबजीत कौर गलती से दर्ज हो गया है। अब उसका नाम सरिता उर्फ सरबजीत कौर दर्ज किया जाये।

अतः ग्राम जनता को बजरिए इश्तहार सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 16-7-2006 से पूर्व अपने एतराज असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि पर कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत पर श्रीमती सरबजीत कौर के प्रार्थना-पत्र पर आगामी कार्यवाही कर दी जायेगी।

आज दिनांक 17-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर। सी0 पी0 वर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री जे0 सी0 शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नम्बर : 98/04 तारीख पेशी : 17-7-2006

मिसल तकसीम जेरे धारा 123 भू-राजस्व अधिनियम, 1954. वाका मौजा भगानी, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब मुकदमा :—

श्रीमती शकुन्तला देवी बनाम श्रीमती शान्ती आदि।

नोटिस बनाम प्रतिवादीगण नम्बर

(4) सन्त राम पुत्र श्री जगरनाथ, निवासी माजरा, (6) कमलेश पुत्री श्री जगरनाथ, निवासी माजरा।

मुकदमा उपरोक्त में प्रतिवादीगण को कई बार समन भेजे गये जिनकी तामील आसान तरीके से न हो सकी। अतः प्रतिवादीगण को इस इश्तहार से सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त मुकदमें की पैरवी हेतु मिति 17-7-2006 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत होवें अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 15-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। जे0 सी0 शर्मा,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
पांवटा साहिब, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत रजिस्ट्रेशन एवं मैरिज आफिसर अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

नरेश कुमार बनाम आम जनता।

विषय.—शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने बारे।

श्री नरेश कुमार पुत्र श्री छको राम, गांव अम्ब, डाकखाना अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त प्रस्तुत की है जिसमें उसने लिखा है कि उसकी शादी पूजा देवी सुपुत्री श्री कुलदीप सिंह, गांव व डा0 त्याई, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) के साथ दिनांक 24-3-2006 को हुई है, का पंजीकरण किया जाकर उसे शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिया जावे।

अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता आम तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस शादी पंजीकरण बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 14-7-2006 को प्रातः 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपने उजर पेश करे अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थिया को शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाएगा तथा बाद में कोई उजर काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 2-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-
रजिस्ट्रेशन एवं मैरिज आफिसर,
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत रजिस्ट्रेशन एवं मैरिज आफिसर, अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

प्रेम नाथ बनाम आम जनता

विषय.—शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने बारे।

श्री प्रेम नाथ पुत्र श्री राजेश्वर दास, गांव अम्ब, डा0 अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त प्रस्तुत की है जिसमें

उसने लिखा है कि उसकी शादी हुमेश्वरी देवी सुपुत्री श्री मुरारी लाल, गांव व डाकखाना अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना के साथ दिनांक 30-4-2006 को हुई है, का पंजीकरण किया जाकर उसे शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिया जावे।

अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता ग्राम तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को शादी पंजीकरण बारे एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 14-7-2006 को प्रातः 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपने उजर पेश करें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थिया को शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाएगा तथा बाद में कोई उजर काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 9-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-
रजिस्ट्रेशन एवं मैरिज ऑफिसर
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत रजिस्ट्रेशन एवं मैरिज आफिसर, अम्ब, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

विजय कुमार बनाम आम जनता

विषय.—शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने बारे।

श्री विजय कुमार पुत्र श्री दलीप सिंह गांव चण्डेर टिकरी, डा0 सूरी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त प्रस्तुत की है जिसमें उसने लिखा है कि उसकी शादी रमना देवी सुपुत्री श्री मदन लाल, गांव व डा0 रिपोटमिसरां, तहसील अम्ब, जिला ऊना के साथ दिनांक 4-6-2006 को हुई है, का पंजीकरण किया जाकर उसे शादी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिया जाये।

अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता ग्राम तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को शादी पंजीकरण बारे एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 14-7-2006 को प्रातः 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपने उजर पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर प्रार्थिया को शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाएगा तथा बाद में कोई उजर काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 12-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-
रजिस्ट्रेशन एवं मैरिज ऑफिसर
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री सुभाष नन्दा (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डलाधिकारी (ना0), अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री धनी राम, निवासी भद्रकाली, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री धनी राम निवासी भद्रकाली ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि गणेश कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी गोन्दपुर बनेहड़ा अप्पर की मृत्यु दिनांक 12-12-2005 को हुई थी परन्तु अज्ञानता वह उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड गोन्दपुर बनेहड़ा अप्पर में दर्ज नहीं करा सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-7-2006 को असालतन या वकालतन प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री बलदेव सिंह पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

आज दिनांक 17-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। सुभाष नन्दा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री सुभाष नन्दा (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डलाधिकारी (ना0), अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री तिलक राज, निवासी चुरूड़ू, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री तिलक राज, निवासी चुरूड़ू ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके लड़के का नाम चन्दन ठाकुर पुत्र श्री तिलक राज का जन्म 11-02-2000 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत चुरूड़ू के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सकी है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-7-2006 को असालतन या वकालतन प्रातः 10,00 बजे हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्रीमती सुनीता देवी पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 17-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। सुभाष नन्दा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री सुभाष नन्दा (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डलाधिकारी (ना0), अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री तिलक राज पुत्र श्री जसवन्त सिंह, निवासी भलेड़, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री तिलक राज पुत्र श्री जसवन्त सिंह, निवासी भलेड़ ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी लड़की तमन्ना ठाकुर का जन्म दिनांक 15-2-2004 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत मन्धोली के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह दिनांक

17-7-2006 असालतन या वकालतन प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री तिलक राज पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 17-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। सुभाष नन्दा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री सुभाष नन्दा (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डलाधिकारी (ना0) अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री मदन लाल पुत्र श्री गोपी राम, निवासी गगरेट, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री मदन लाल पुत्र श्री गोपी राम, निवासी गगरेट ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके लड़के नीरज कुमार पुत्र श्री मदन लाल का जन्म दिनांक 14-4-2001 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत गगरेट के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17-7-2006 को असालतन या वकालतन प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री मदन लाल पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 17-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। सुभाष नन्दा,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

ब मकद्मा : जन्म तिथि प्रमाण-पत्र।

श्री बलबीर सिंह बनाम आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री मच्चा सिंह, निवासी गांव छनरपुर, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र इकबाल सिंह का नाम पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाया जा सका है और अब दर्ज करवाया जावे। उसके पुत्र का नाम इकबाल सिंह है, जन्म तिथि 13-7-2001 है तथा बच्चे का जन्म स्थान छनरपुर है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे का नाम दर्ज होने में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-7-2006 को प्रातः दस बजे स्वयं अथवा असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा यक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रमाण-पत्र जारी करने के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 19-6-2006 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना जिला ऊना (हि0 प्र0)

ब मुकद्मा : जन्म प्रमाण-पत्र।

श्री प्रमोद सिंह बनाम आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री प्रमोद सिंह पुत्र श्री मूल राज, निवासी गांव चताड़ा, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र कमल ठाकुर का नाम पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाया जा सका है और अब दर्ज करवाया जावे। उसके पुत्र का नाम कमल ठाकर है, जन्म तिथि 3-01-1975 है तथा बच्चे का जन्म स्थान चताड़ा है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे का नाम दर्ज होने में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-7-2006 को प्रातः दस बजे स्वयं अथवा असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रमाण-पत्र जारी करने के आदेश दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-6-2006 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना जिला ऊना (हि0 प्र0)

ब मुकद्मा : जन्म तिथि प्रमाण-पत्र।

श्री रवि कुमार बनाम आम जनता।

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री रवि कुमारपुत्र श्री ब्रह्मा नन्द, निवासी गांव सुनहरा, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसके पुत्र पुष्कर जोशी का नाम पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाया जा सका है जो कि अब दर्ज करवाया जावे। उसके पुत्र का नाम पुष्कर जोशी है, जन्म तिथि 21-11-2001 है तथा बच्चे का जन्म स्थान सुनहरा है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता आम को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे का नाम दर्ज होने में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-7-2006 को प्रातः 10.00 बजे स्वयं अथवा असालतन/

...लतन इस अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रमाण-पत्र जारी करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-6-2006 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री एच0 एस0 बेदी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री हंस राज पुत्र श्री उधम सिंह, निवासी गांव चंगर हण्डोला, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ·· प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बाबत जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री हंस राज पुत्र श्री उधम सिंह, निवासी गांव चंगर हण्डोला, तहसील बंगाणा, जिला ऊना ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री का नाम नेहा है। जिसकी जन्म तिथि 3-5-2001 है। अज्ञानतावश वह अपनी पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज न करवा सके हैं। जिसे दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मुनादी हि0 प्र0 राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकरण करने बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निश्चित तिथि 14-7-2006 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 14-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। एच0 एस0 बेदी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील बंगाणा, जिला ऊना,
हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत तहसीलदार एव भू-सुधार अधिकारी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री किशोरी लाल, निवासी टीका समलाड़ा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ·· प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती कागजात माल।

श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री किशोरी लाल, निवासी टीका समलाड़ा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम स्कूल प्रमाण-पत्र व पंचायत रिकार्ड में सुरेन्द्र कुमार दरुस्त दर्ज है। परन्तु कागजात माल में मेरा नाम जोगिन्दर कुमार गलत दर्ज चला आ रहा है। इसलिए कागजात माल में मेरा नाम जोगिन्दर कुमार की बजाए सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री किशोरी लाल दरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मुनादी हि0 प्र0 राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्ती में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निश्चित तिथि दिनांक 17-7-2006 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति या एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 3-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी,
तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री कर्म चन्द पुत्र श्री भगत राम, जात ब्राह्मण, निवासी टीका समलाड़ा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0) ·· प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती कागजात माल।

श्री कर्म चन्द पुत्र श्री भगत राम, जात ब्राह्मण, निवासी टीका समलाड़ा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम स्कूल प्रमाण-पत्र व पंचायत रिकार्ड में कर्म चन्द दरुस्त दर्ज है, परन्तु कागजात माल में उनका नाम कर्मू गलत दर्ज चला आ रहा है। इसलिए कागजात माल में उसका नाम कर्मू की बजाए कर्म चन्द पुत्र श्री भगत राम दरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मुनादी हि0 प्र0 राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्ती में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निश्चित तिथि दिनांक 17-7-2006 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 3-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी,
तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री हुकम चन्द पुत्र श्री दसौंदी, जात तरखान, निवासी टीका करमाली, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0) ·· प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती कागजात माल।

श्री हुकम चन्द पुत्र श्री दसौंदी, जात तरखान, निवासी टीका करमाली, तहसील बंगाणा, जिला ऊना ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम स्कूल प्रमाण पत्र में हुकम चन्द दरुस्त दर्ज है, कागजात माल में उसका नाम हुकमी गलत दर्ज चला आ रहा है। इसलिए मेरा नाम कागजात माल में हुकमी की बजाए हुकम चन्द पुत्र चन्दू दरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित किए जायें। जो कि सही है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मुनादी हि0 प्र0 राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्ती करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निश्चित तिथि दिनांक 17-7-2006 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 3-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी,
तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री अशोक चौहान, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री शंकर दास, निवासी गांव थाना खास तप्पा टीहरा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0) ..प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बाबत जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रणजीत सिंह पुत्र शंकर दास, निवासी गांव थाना खास तप्पा टीहरा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि मेरी दादी श्रीमती द्रौपती देवी पत्नी ठैणू राम पुत्र खेमू राम की मृत्यु दिनांक 1-1-1989 को हो चुकी है। अज्ञानतावश वह अपनी दादी की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज न करवा सके हैं। जिसे दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें, जो कि सही है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मुनादी हिमाचल प्रदेश राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निश्चित तिथि दिनांक 17-7-2006 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 1-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। अशोक चौहान,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अशोक चौहान, तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती नरेश कुमारी पत्नी श्री कश्मीर सिंह पुत्र पूर्ण चन्द, निवासी गांव टांडा अनोखा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती कागजात माल।

श्रीमती नरेश कुमारी पत्नी श्री कश्मीर सिंह पुत्र श्री पूर्ण चन्द, निवासी गांव टांडा अनोखा, तप्पा थहड़ा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनके पति का नाम स्कूल प्रमाण-पत्र, पंचायत रिकार्ड व फौज में कश्मीर सिंह दरुस्त दर्ज है, परन्तु कागजात माल में मेरे पति का नाम कश्मीर चन्द गलत दर्ज चला आ रहा है। इसलिए मेरे पति का नाम कागजात माल में कश्मीर चन्द की बजाए कश्मीर सिंह पुत्र पूर्ण चन्द दरुस्त दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मुनादी हिमाचल प्रदेश राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्ती में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निश्चित तिथि दिनांक 17-7-2006 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 9-6-2006 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। अशोक चौहान,
तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी,
तहसील बंगाणा, जिला ऊना,
हिमाचल प्रदेश।

भाग 6—भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन

-शून्य-

भाग 7—भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं

-शून्य-

अनुपूरक

-शून्य-

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित